

वर्ष 66 अंक 1

ISSN 2231-2439
जनवरी-जून 2022

प्रौढ शिक्षा

प्रौढ, सतत एवं आजीवन शिक्षा जगत का मुख पत्र



भारतीय प्रौढ शिक्षा संघ



भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

1939 में स्थापित भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में, शिक्षा के माध्यम से अभिवृद्धि करना है, जिसे यह निरन्तर एवं आजीवन प्रक्रिया के रूप में देखता है। संघ प्रौढ़ शिक्षा को एक प्रक्रिया, कार्यक्रम और आन्दोलन के रूप में गतिशील बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। संघ प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों, विश्वविद्यालयों, शासकीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकलापों से समन्वय करता है। संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन और प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न आयामों पर निरन्तर सर्वेक्षण तथा शोध के साथ, संघ अपने सदस्यों की प्रौढ़ शिक्षा विषयक जानकारी में नवीनता एवं प्रखरता बनाए रखने के लिए समूचे विश्व में अद्यतन विचार और अनुभव प्रस्तुत करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु विभिन्न प्रयोगात्मक परियोजनाएं भी संचालित करता है। अपनी नीतियों के अनुसरण में संघ ने 'नेहरू साक्षरता पुरस्कार' एवं महिलाओं में निरक्षरता निवारण कार्य हेतु 'टैगोर साक्षरता पुरस्कार' की स्थापना की है।

डा. जाकिर हुसैन स्मृति व्याख्यान प्रतिवर्ष किसी मूर्धन्य शिक्षाविद् द्वारा दिया जाता है। संघ हिन्दी एवं अंग्रेजी शोध कार्य के लिए डा. मोहन सिंह मेहता फेलोशिप भी प्रदान करता है। संघ का अमरनाथ झा पुस्तकालय प्रौढ़, सतत् और जनसंख्या शिक्षा की सन्दर्भ सामग्री की दृष्टि से देश में अद्वितीय है। विविध सन्दर्भ पुस्तकों के संकलन के अतिरिक्त देश और विदेश से प्रकाशित प्रौढ़ शिक्षा संबंधी पत्र-पत्रिकाएं, सूचना एवं संदर्भ सामग्री भी इसमें उपलब्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हेतु संघ की पहल पर प्रौढ़ एवं जीवनपर्यन्त अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एंड ला. ईफलॉग एजूकेशन) की स्थापना हुई। संघ प्रौढ़ शिक्षा विषय पर अनेक पुस्तकें व पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, जो कि मुख्यतः प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों और नवसाक्षरों के लिए है। संघ 'इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ वर्कर्स एजूकेशन एसोसिएशनस', एवं 'एशियन साउथ पेसेफिक एसोसिएशन फॉर बेसिक एण्ड एडल्ट एजूकेशन', 'इण्टरनेशनल कौंसिल आफ एडल्ट एजूकेशन' तथा 'इण्टरनेशनल रीडिंग एसोसिएशन' से भी सम्बद्ध है। संघ की सदस्यता उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए खुली है जो इसके आदर्शों एवं लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं और इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए इच्छुक हैं।

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

17-वीं इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110002

दूरभाष: 011-23379282, 23379306

फैक्स: 011-23378206,

ई-मेल: directoriatea@gmail.com, iaeadelhi@gmail.com

website: www.iaea-india.in; www.iaale.org

प्रौढ़ शिक्षा

जनवरी-जून 2022
वर्ष 66 अंक 1

सम्पादक मण्डल

डा. सरोज गर्ग
श्री मृपाल पंत
श्री ए.एच.खान
श्री राजेन्द्र जोशी
सुश्री निशात फारुख

सम्पादक
सुरेश खण्डेलवाल

सहायक सम्पादक
बी. संजय

इस अंक में

| | |
|---|----|
| सम्पादकीय | 2 |
| जनपद देहरादून के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि का अध्ययन — मनोज कुमार शुक्ला — सुरेश चन्द्र पचौरी | 3 |
| नेहरू एवं तैगोर साक्षरता सम्मान के अवसर पर उपराष्ट्रपति का उद्बोधन | 14 |
| राजकीय व निजी विद्यालयों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की परासंज्ञानात्मक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन — रोमा भंसाली — रेणु हिंण्ड | 16 |
| विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन — बीना चौधरी — टी.सी. पाण्डेय | 22 |
| कार्यबल में महिलाएं — विजय प्रकाश श्रीवास्तव | 37 |
| महिला सशक्तिकरण के लिए कौशलवर्धन की आवश्यकता — भानुबहन गजुभाई कुमाराखाणीया — संध्याबहन ठाकर | 40 |
| शिक्षा, शिक्षक और मानकीकरण — नवनीत शर्मा | 46 |

मूल्य: 200 रुपये वार्षिक

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक विचार हैं जिसके लिए संघ एवं सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है।

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 19 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वयस्क अथवा प्रौढ़ की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में यह श्रेणी 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही प्रारंभ हो जाती है। अब तक प्रौढ़ शिक्षा के तहत संचालित सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में 15 वर्ष एवं उससे ऊपर के सभी लोगों को शामिल किया जाता रहा है। साथ ही साथ कई चर्चाओं में यह बात भी उठती रही है कि 'प्रौढ़ शिक्षा' शीर्षक आयु के इस पूरे व्याप को नहीं समेट पाती। संभवतः इसीलिए सरकार ने भविष्य में 'प्रौढ़ शिक्षा (Adult Education)' के स्थान पर 'सभी के लिए शिक्षा (Education for All)' का प्रयोग करने का निर्णय लिया है।

ज्ञात है कि सन् 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 15 वर्ष तथा उसके ऊपर असाक्षरों की कुल संख्या 25.76 करोड़ थी जिसमें 9.08 करोड़ पुरुष व 16.68 करोड़ महिलाएं शामिल थीं। इस विशाल असाक्षर आबादी को साक्षर बनाने हेतु सन् 2009 में साक्षर भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गयी। सन् 2017-18 तक साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत कुल 7.64 करोड़ लोगों को साक्षर बनाया जा सका। इस प्रकार वर्तमान में देश में असाक्षर लोगों की अनुमानित संख्या लगभग 18.12 करोड़ है। इस चुनौती के निराकरण तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोलस 4.6 के अनुरूप वर्ष 2030 तक शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरी करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कई नवीन संभावनाओं को तलाशने की कोशिश की गयी।

परिणामस्वरूप 'नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' ने आकार लिया जिसका क्रियान्वयन 1 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो गया है। स्वयंसेवी प्रयासों द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से लागू किये जाने वाले इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की मुख्य इकाई स्कूल होगा जिसमें यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (यूडीआईएसई) के तहत पंजीकृत लगभग 7 लाख स्कूलों के 3 करोड़ छात्र तथा सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के लगभग 50 लाख शिक्षक स्वयंसेवक के रूप में भाग लेंगे। संबद्ध मंत्रालयों सहित कार्यक्रम के क्रियान्वयन में नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय कैंडिड कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, पंचायती राज संस्थानों, आशा वर्कर तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी महत्वपूर्ण भागीदारी होगी।

देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे ऊपर के सभी असाक्षर लोगों को नेशनल इफॉर्मेटिक सैण्टर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय मुक्तविद्यालययी शिक्षा संस्थान के सक्रिय सहयोग से विकसित OTLAS (Online Teaching, Learning and Assessment System) प्रणाली के माध्यम से साक्षरता, बुनियादी एवं सतत शिक्षा सहित लाभार्थियों के रुचि अनुसार जीवन कौशल प्रदान करने हेतु संचालित इस कार्यक्रम पर 2022-27 वित्त वर्ष के दौरान लगभग 1037.90 करोड़ रूपयों की लागत का अनुमान है जिसमें केन्द्रीय हिस्सा 700 करोड़ तथा राज्य का हिस्सा 337.90 करोड़ रूपयों का होगा।

संपूर्ण कार्यक्रम को एक व्यापक जन आंदोलन बनाने के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाटसप, यूट्यूब, टी.वी चैनल, रेडियो जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म सहित इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, लोक और इंटरपरर्सनल प्लेटफार्म जैसे सभी माध्यमों का समुचित उपयोग किया जाएगा। यह कोशिश की जाएगी कि प्रतिवर्ष 1 करोड़ असाक्षरों को साक्षर बनाते हुए आगामी 5 वर्षों में 5 करोड़ असाक्षरों को साक्षर बना उनके उत्तरोत्तर सशक्तिकरण के मार्ग को प्रशस्त किया जा सके। चिंता का विषय यह है कि यदि इस अनुमानित लक्ष्य को प्राप्त कर भी लिया जाए तो भी वर्ष 2027 के आखिरी में भी लगभग 13.12 करोड़ लोग असाक्षरता की बेड़ी में जकड़े होंगे जिन्हें बाकी के 2 वर्षों में साक्षर बना पाना एक असंभव सा कार्य नजर आएगा। ऐसे में भारत एसडीजी गोल 4.6 के तहत सन् 2030 तक सार्वभौमिक साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने से किंचित दूर ही खड़ा दिखेगा।

—बी.संजय

जनपद देहरादून के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि का अध्ययन

— मनोज कुमार शुक्ला
— सुरेश चन्द्र पचौरी

प्रस्तुत शोध अध्ययन में जनपद देहरादून के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि का अध्ययन किया गया है। इसमें न्यादर्श के रूप में देहरादून जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 400 शिक्षकों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया। अध्ययन में डॉ. अमर सिंह एवं डॉ. टी. आर. शर्मा (2019) द्वारा निर्मित एवं प्रमापीकृत व्यावसायिक संतुष्टि मापनी का प्रयोग किया गया है। आँकड़ों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन एवं सहसंबंध का उपयोग किया गया। इस अध्ययन में निष्कर्ष स्वरूप पाया गया कि शहरी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष वर्ग के शिक्षकों एवं महिला वर्ग के शिक्षकों के मध्य व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में धनात्मक सह-संबंध तथा ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष वर्ग के शिक्षकों एवं महिला वर्ग के शिक्षकों के मध्य व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में धनात्मक सहसंबंध है। शहरी तथा ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष वर्ग के शिक्षकों एवं महिला वर्ग के शिक्षकों के मध्य व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं पाया गया।

शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा ही किसी राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक प्रगति की जा सकती है अर्थात् राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा अहम भूमिका का निर्वहन करती है। शिक्षा के स्वरूप एवं उसके अर्थ को समझाने हेतु विभिन्न दार्शनिकों, शिक्षाविदों, समाजशास्त्रियों, अध्यात्मवादियों ने अलग-अलग परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। महात्मा गाँधी ने जहाँ शिक्षा को बालक अथवा मनुष्य के शरीर, मन, तथा आत्मा के सर्वांगीण और अच्छे विकास के रूप में व्याख्या की है वहीं रवीन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे जीवन के समस्त पहलुओं में समन्वय उपस्थित करने को शिक्षा के रूप में व्यक्त किया है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि "शिक्षा सूचना प्रदान करने एवं कौशलों का प्रशिक्षण देने तक सीमित नहीं है। इसे शिक्षित व्यक्ति को मूल्यों का विचार भी प्रदान करना होता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी व्यक्ति भी नागरिक हैं। अतः जिस समुदाय में वे रहते हैं उस समुदाय के प्रति उनका भी सामाजिक उत्तरदायित्व है।"

विभिन्न शिक्षाविदों द्वारा शिक्षा के प्रति जो दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है, उसके विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला-कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है।

समाज में शिक्षक की भूमिका सदैव से ही उच्च रही है। शिक्षक ही किसी समाज को ज्ञान से परिपूर्ण

करने में सक्षम है। शिक्षा की पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, निर्देशन कार्यक्रम, छात्र आदि तभी उच्च स्तर तक सफल होते हैं, जब शिक्षक द्वारा उत्कृष्ट योगदान दिया जाता है अर्थात् शिक्षक ही ज्ञान का उत्पादक एवं संवाहक है। विभिन्न राष्ट्रीय आयोगों, समितियों एवं शिक्षा नीतियों ने भी शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट रूप से वर्णित किया है जो इस प्रकार है—

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952—53) के अनुसार — “अपेक्षित शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक — उसके व्यक्तिगत गुण, उसकी शैक्षिक योग्यताएँ, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और उसकी स्थिति जो विद्यालय तथा समाज में ग्रहण करता है, ही है। विद्यालय की प्रतिष्ठा तथा समाज के जीवन पर उसका प्रभाव निःसंदेह उन शिक्षकों पर निर्भर करता है जो उस विद्यालय में कार्यरत हैं।”

कोठारी शिक्षा आयोग (1964—66) के अनुसार “शिक्षा को गुणात्मक रूप से प्रभावित करने वाले सभी विभिन्न तत्वों में अध्यापक के गुण, कुशलता एवं चरित्र का महत्व निःसंदेह सर्वोपरि है।”

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार “किसी भी समाज में शिक्षकों के स्तर से उसकी सांस्कृतिक-सामाजिक स्थिति का पता लगता है। कहा जाता है कि कोई भी राष्ट्र अपने शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है।”

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार — “शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्मानीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुनः स्थान देने में सहायता करनी होगी क्योंकि शिक्षक ही नागरिकों व हमारी अगली पीढ़ी को सही मायने में आकार देते हैं।”

शिक्षक ही विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता, संप्रेषण कौशल, मानवीय मूल्य एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि विकसित करता है। शैक्षिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका सदैव से ही अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है। एक कुशल एवं विज्ञ शिक्षक ही शिक्षण व्यवस्था में सकारात्मक दिशा में परिवर्तन ला सकता है। इसलिए शिक्षक से जुड़े सभी कारक शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। शिक्षकों का पेशेवर विकास उनकी कार्य निष्पादन की योग्यताओं एवं क्षमताओं में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है और उनको समाज में उच्च स्थान प्रदान करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि पर प्रभाव डालने वाले कारकों का विभिन्न स्तरों पर अध्ययन किया गया है। कौर (1983), दीक्षित (1986), खातून और हसन (2000) एवं रजनी (2010) ने अपने अध्ययनों में व्यावसायिक संतुष्टि पर आयु, लिंग, शिक्षण अनुभव, शिक्षण स्तर एवं अन्य व्यक्तिगत चरों के पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया है। गुप्ता एवं जैन (2003) ने यह पाया कि वेतन, सुरक्षा, भौतिक स्थिति, स्थानान्तरण एवं पदोन्नति आदि व्यावसायिक संतुष्टि को प्रभावित करते हैं। अरोड़ा (2014) ने शिक्षकों के व्यावसायिक संतुष्टि व संस्थागत भूमिका तनाव के मध्य महत्वपूर्ण संबंध पाया है। सरकार (2018) ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों की कार्य संतुष्टि में सार्थक अंतर पाया है। कुमार (2020) ने शिक्षक प्रशिक्षकों की कार्य संतुष्टि एवं व्यावसायिक प्रतिबद्धता के मध्य धनात्मक सार्थक सहसंबंध पाया है।

प्रस्तुत शोधपत्र माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि से संबंधित है।

समस्या कथन —

“जनपद देहरादून के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि का अध्ययन।”
शोध अध्ययन में प्रयुक्त चरों का क्रियात्मक परिभाषीकरण — इस शोध अध्ययन में प्रयुक्त प्रमुख चर का क्रियात्मक परिभाषीकरण निम्न प्रकार है—

माध्यमिक विद्यालय

प्रस्तुत अध्ययन में माध्यमिक विद्यालयों से आशय देहरादून जनपद के उन विद्यालयों से है, जिनमें कक्षा 9 एवं 10 या कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। जिन विद्यालयों में मात्र कक्षा 9 एवं 10 संचालित होती हैं उन्हें “उच्चतर माध्यमिक विद्यालय” तथा जिनमें कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएँ संचालित होती हैं उन्हें “इण्टर कॉलेज” कहा जाता है।

शिक्षक

शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये तीन ध्रुव हैं — शिक्षक, बालक एवं पाठ्यक्रम। इनमें से ‘शिक्षक’ सबसे महत्वपूर्ण ध्रुव है जिसके द्वारा ही विद्यालय की समस्त गतिविधियों का संचालन किया जाता है। शिक्षक अपने ज्ञान एवं अनुभवों के आधार पर बालक का सर्वांगीण विकास करता है। शिक्षक बालकों में संस्कार एवं मूल्यों की स्थापना करता है जो कि राष्ट्र की प्रगति में सहायक होते हैं।

डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार — “अध्यापक का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह उस धुरी के समान है जो बौद्धिक परम्पराओं व तकनीकी क्षमताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरित करता है और सभ्यता की ज्योति को प्रज्वलित रखता है।”

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शिक्षक से तात्पर्य उन सभी महिला एवं पुरुष शिक्षकों से है, जो देहरादून जनपद के विभिन्न राजकीय, अनुदानित एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य संपादित कर रहे हैं।

व्यावसायिक संतुष्टि

व्यक्ति के किसी व्यवसाय को अपनाने या प्राप्त करने के उपरान्त उस कार्य को करने में उसे जो आत्मिक संतुष्टि का अनुभव होता है, वह व्यावसायिक संतुष्टि कहलाती है। यह संतुष्टि व्यक्ति को तभी प्राप्त होती है, जब उसके द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय उसकी योग्यता, रुचि व इच्छा के अनुसार होता है।

स्मिथ (1961) के अनुसार — “शिक्षक के व्यावसायिक संतुष्टि का अर्थ उसका अध्यापन कार्य के प्रति दृष्टिकोण एवं निर्णय जिसके आधार पर वह अपने कार्य की जाँच करता है कि वे कार्य हमारी आवश्यकताओं को किस सीमा तक पूर्ति करते हैं।”

प्रस्तुत शोध अध्ययन में व्यावसायिक संतुष्टि से तात्पर्य कार्य के प्रति संतुलन एवं व्यावहारिक परिस्थिति में दृष्टिकोण से है जो उसे समायोजित एवं प्रसन्न बनाती है। अध्ययन में व्यावसायिक संतुष्टि से संबंधित पदों में कार्य की प्रकृति, कार्य शर्तें, नियुक्ति स्थान, सहयोग, प्रजातांत्रिक व्यवस्था, वेतन, सामाजिकता, सामुदायिकता एवं जीवन स्तर संबंधित दृष्टिकोणों को सम्मिलित किया गया है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य — प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की व्यावसायिक संतुष्टि का अध्ययन करना।
माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों के मध्य व्यावसायिक संतुष्टि के सहसंबंध का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पनाएँ — प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाएँ निर्मित की गई हैं—

शहरी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों के मध्य व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों के मध्य व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

परिसीमन— शोधार्थी ने प्रस्तुत शोधकार्य को सीमित समय, श्रम एवं पूँजी को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण एवं शहरी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों तक परिसीमित किया है।

शोध अध्ययन प्रक्रिया— प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श — शोध अध्ययन में देहरादून जनपद के समस्त विकासखण्डों (डोईवाला, रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी, चकराता) के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र से कुल 200 शिक्षकों (100 पुरुष 100 महिला) तथा शहरी क्षेत्र से कुल 200 शिक्षकों (100 पुरुष 100 महिला) का यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा चयन किया गया है।

शोध उपकरण — प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा डॉ. अमर सिंह एवं डॉ. टी.आर. शर्मा (2019) द्वारा निर्मित एवं प्रमाणीकृत व्यावसायिक संतुष्टि मापनी का उपयोग किया गया है।

सांख्यिकीय विश्लेषण— प्रस्तुत अध्ययन में सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन, मध्यमान एवं सहसंबंध की गणना की गई है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या — प्रस्तुत शोध अध्ययन के आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की गई है—

परिकल्पना — 1

“शहरी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों के मध्य व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।”

तालिका— 1 (अ)

शहरी विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि के मध्यमान एवं मानक विचलन की गणना

| क्र.सं. | क्षेत्र | संख्या (N) | मध्यमान (M) | मानक विचलन (S.D.) |
|---------|---------|------------|-------------|-------------------|
| 1. | पुरुष | 100 | 82.0800 | 12.00730 |
| 2. | महिला | 100 | 82.5000 | 9.55209 |

तालिका— 1 (अ) से स्पष्ट होता है कि शहरी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 100 पुरुष वर्ग के

शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि की प्रतिक्रिया के लिए आँकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिसमें मध्यमान 82.0800 एवं मानक विचलन 12.00730 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार शहरी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 100 महिला वर्ग के शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि की प्रतिक्रिया के लिए आँकड़ों का विश्लेषण करने पर मध्यमान 82.5000 एवं मानक विचलन 9.55209 प्राप्त हुआ। दोनों क्षेत्रों के सह-संबंध की गणना को तालिका- 1 (ब) में प्रदर्शित किया गया है-

तालिका- 1 (ब)


शहरी विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि के सह-संबंध की गणना

| क्र.सं. | क्षेत्र | विवरण | शहरी पुरुष | शहरी महिला |
|---------|------------|---|--|--|
| 1. | शहरी पुरुष | पीयरसन सह-संबंध गुणांक सार्थकता (द्वि-पुच्छीय) वर्गों का योग और क्रॉस प्रोडक्ट्स सहप्रसरण संख्या (छ) | 1 14273.360 144.175 100 | 0.056 0.579 638.00 6.444 100 |
| 2. | शहरी महिला | पीयरसन सह-संबंध गुणांक सार्थकता (द्वि-पुच्छीय) वर्गों का योग और क्रॉस प्रोडक्ट्स सहप्रसरण संख्या (छ) | 0.056 0.579 638.00 6.444 100 | 1 9033.000 91.242 100 |

तालिका- 1 (ब) के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पीयरसन सह-संबंध गुणांक 0.056 है, जो कि शहरी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष वर्ग के शिक्षकों एवं महिला वर्ग के शिक्षकों के मध्य व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में धनात्मक सह-संबंध (Positive Correlation) प्रदर्शित करता है। शहरी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष वर्ग के शिक्षकों एवं महिला वर्ग के शिक्षकों के मध्य व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में सह-संबंध सांख्यिकीय रूप से सार्थक नहीं है, क्योंकि सार्थकता मान (द्वि-पुच्छीय) 0.05 से अधिक है।


व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में शहरी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के सह-संबंध का ग्राफीय प्रदर्शन एवं व्याख्या -

आकृति- 1



व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में शहरी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष वर्ग के शिक्षकों एवं महिला वर्ग के शिक्षकों के बीच सह-संबंध को ऊपर आकृति- 1 में प्रकीर्ण आरेख (scatter plot) द्वारा दर्शाया गया है। आकृति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पुरुष वर्ग के शिक्षकों एवं महिला वर्ग के शिक्षकों में सरल रेखीय संबंध नहीं है। हमें यह भी स्पष्ट होता है कि जैसे-जैसे हम ऊपर की बढ़ते हैं, वैसे-वैसे बिन्दु अधिक तितर-बितर (dispersed) होते जाते हैं, साथ ही डॉट्स का पैटर्न चार्ट के रेखिक पैटर्न का अनुसरण करता है। यह स्पष्ट रूप से दिए गए चर (शहरी पुरुष एवं शहरी महिला शिक्षकों) के बीच रेखिकता (linearity) को इंगित करता है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में शहरी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के बीच सार्थक सह-संबंध है।

आकृति - 2



उपरोक्त आलेख व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में शहरी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष वर्ग के शिक्षकों एवं महिला वर्ग के शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है। आलेख में प्रदर्शित रेखाएँ व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में पुरुष वर्ग के शिक्षकों एवं महिला वर्ग के शिक्षकों की प्रतिक्रिया के अनुरूप भिन्नता को दर्शाती है। आकृति – 2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में शहरी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की प्रतिक्रियाओं में ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं है अर्थात् शहरी शिक्षकों एवं शहरी शिक्षिकाओं की प्रतिक्रियाओं में अधिक समानता है। अतः व्यावसायिक संतुष्टि का उत्तरदाताओं पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

परिकल्पना— 2

“ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों के मध्य व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।”

तालिका— 2 (अ)

ग्रामीण विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति के मध्यमान एवं मानक विचलन की गणना

| क्र.सं. | क्षेत्र | संख्या (N) | मध्यमान (M) | मानक विचलन (S.D.) |
|---------|---------|------------|-------------|-------------------|
| 1. | पुरुष | 100 | 81.6300 | 9.90832 |
| 2. | महिला | 100 | 81.1400 | 8.84664 |

तालिका— 2 (अ) से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 100 पुरुष वर्ग के शिक्षकों के व्यावसायिक संतुष्टि की प्रतिक्रिया के लिए आँकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिसमें मध्यमान 81.6300 एवं मानक विचलन 9.90832 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 100 महिला वर्ग के शिक्षकों के व्यावसायिक संतुष्टि की प्रतिक्रिया के लिए आँकड़ों का विश्लेषण करने पर मध्यमान 81.1400 एवं मानक विचलन 8.84664 प्राप्त हुआ है। दोनों क्षेत्रों के सह-संबंध की गणना को तालिका— 2 (ब) में प्रदर्शित किया गया है—

तालिका— 2 (ब)

ग्रामीण विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि के सह-संबंध की गणना


| क्र.सं. | क्षेत्र | विवरण | ग्रामीण पुरुष | ग्रामीण महिला |
|---------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. | ग्रामीण पुरुष | पीयरसन सह-संबंध गुणांक | 1 | -0.086 |
| | | सार्थकता (द्वि-पुच्छीय) | | 0.393 |
| | | वर्गों का योग और क्रॉस प्रोडक्ट्स | 9719.310 | -749.820 |
| | | सहप्रसरण | 98.175 | -7.574 |
| | | संख्या (छ) | 100 | 100 |

| | | | | |
|----|---------------|-----------------------------------|----------|----------|
| 2. | ग्रामीण महिला | पीयरसन सह-संबंध गुणांक | -0.086 | 1 |
| | | सार्थकता (द्वि-पुच्छीय) | 0.393 | |
| | | वर्गों का योग और क्रॉस प्रोडक्ट्स | -749.820 | 7748.040 |
| | | सहप्रसरण | -7.574 | 78.263 |
| | | संख्या (छ) | 100 | 100 |

तालिका- 2(ब) के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पीयरसन सह-संबंध गुणांक -0.086 है, जो कि ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष वर्ग के शिक्षकों एवं महिला वर्ग के शिक्षकों के मध्य व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में ऋणात्मक सह-संबंध (**Negative Correlation**) प्रदर्शित करता है। ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष वर्ग के शिक्षकों एवं महिला वर्ग के शिक्षकों के मध्य व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में सह-संबंध सांख्यिकीय रूप से सार्थक नहीं है, क्योंकि सार्थकता मान (द्वि-पुच्छीय) 0.05 से अधिक है।

व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के सह-संबंध का ग्राफीय प्रदर्शन एवं व्याख्या -


आकृति- 3



व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष वर्ग के शिक्षकों एवं महिला वर्ग के शिक्षकों के बीच सह-संबंध को ऊपर आकृति - 3 में प्रकीर्ण आरेख (scatter plot) द्वारा दर्शाया गया है। आकृति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पुरुष वर्ग के शिक्षकों एवं महिला वर्ग के शिक्षकों में सरल रेखीय संबंध नहीं है। हमें यह भी स्पष्ट होता है कि जैसे-जैसे हम ऊपर की बढ़ते हैं, वैसे-वैसे बिन्दु अधिक तितर-बितर (**dispersed**) होते जाते हैं, साथ ही डॉट्स का पैटर्न चार्ट के रेखिक पैटर्न का अनुसरण करता है। यह स्पष्ट रूप से दिए गए चर (ग्रामीण पुरुष एवं ग्रामीण महिला शिक्षकों) के बीच रेखिकता (**linearity**) को इंगित करता है। इस प्रकार हम इस

निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के बीच सार्थक सह-संबंध है।

आकृति- 4



उपरोक्त आलेख व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष वर्ग के शिक्षकों एवं महिला वर्ग के शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है। आलेख में प्रदर्शित रेखाएँ व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में पुरुष वर्ग के शिक्षकों एवं महिला वर्ग के शिक्षकों की प्रतिक्रिया के अनुरूप भिन्नता को दर्शाती हैं। आकृति- 4 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की प्रतिक्रियाओं में ज्यादा उतार-चढ़ाव है अर्थात् ग्रामीण शिक्षकों एवं ग्रामीण शिक्षिकाओं की प्रतिक्रियाओं में अधिक समानता नहीं है। अतः व्यावसायिक संतुष्टि का उत्तरदाताओं पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

शोध अध्ययन के निष्कर्ष—

प्रस्तुत शोध अध्ययन में संकलित आँकड़ों के सांख्यिकी विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष निम्नलिखित हैं—

1. शहरी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष वर्ग के शिक्षकों एवं महिला वर्ग के शिक्षकों के मध्य व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में धनात्मक सह-संबंध प्राप्त होता है एवं शहरी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष वर्ग के शिक्षकों एवं महिला वर्ग के शिक्षकों के मध्य व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।
2. ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष वर्ग के शिक्षकों एवं महिला वर्ग के शिक्षकों के मध्य व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में ऋणात्मक सह-संबंध प्राप्त होता है एवं ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष वर्ग के शिक्षकों एवं महिला वर्ग के शिक्षकों के मध्य व्यावसायिक संतुष्टि के संदर्भ में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

सुझाव— उपरोक्त शोध निष्कर्षों के आधार पर निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत हैं—

1. माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष वेतन-भत्ते, आवासीय सुविधा, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देकर प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे शिक्षण व्यवसाय के प्रति अधिक संतुष्ट हो सकें।
2. शिक्षकों की पदोन्नति समयबद्ध रूप में हो एवं उनके स्थानान्तरण की पारदर्शी एवं तकनीकी आधारित प्रक्रिया अपनायी जाए।
3. शिक्षकों को पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए एवं उनके अनुभवों को पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाया जाए।
4. उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को विभिन्न स्तरों जैसे – विद्यालय, संकुल, विकास खण्ड, जनपद, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर आदि पर सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाए।
5. शिक्षकों के चयन हेतु नीति निर्माण करने वाली संस्थाओं जैसे – राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् आदि को शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने वाले अभ्यर्थियों की शिक्षण अभिवृत्ति का परीक्षण करने के लिए व्यापक रूप से उपयुक्त तंत्र को डिजाइन किया जाना चाहिए।
6. शिक्षकों को शिक्षण के अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्यों जैसे – जनगणना, भवन गणना, आर्थिक गणना, निर्वाचन ड्यूटी, एवं कोविड ड्यूटी आदि से मुक्त रखा जाए।
7. शिक्षकों को नवीनतम तकनीकी आधारित शिक्षण जैसे – डिजिटल बोर्ड, गूगल मीट शिक्षण, ऑन-लाइन शिक्षण, व्हाट्स अप टीचिंग आदि को प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए एवं समय-समय पर नवीन शिक्षण तकनीकियों की जानकारी दी जाए।
8. शिक्षकों में शिक्षण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने हेतु समय-समय पर विभिन्न अभिमुखीकरण कार्यशालाओं, रिफ्रेशर कोर्स एवं प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाए।
9. शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएं।
10. शिक्षकों को राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं का एकपोजर विजिट कराया जाए जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि के साथ व्यावसायिक संतुष्टि भी प्राप्त की जा सके।

संदर्भ

1. माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ सं.- 51-56।
2. शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, शिक्षा आयोग (1964-66), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ सं.- 35-42।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020, दस्तावेज, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ सं. - 05।
4. सिंह, अमर एवं शर्मा, टी. आर. (2019). व्यावसायिक संतुष्टि मापनी. नेशनल साइकॉलाजिकल कार्पोरेशन, आगरा।
5. दीक्षित, एम. 1986. कम्पैरेटिव स्टडी ऑफ वर्क सटिस्फैक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकंड्री स्कूल टीचर्स. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. खातून, टी. एवं जेड हसन. 2000. जॉब सटिस्फैक्शन ऑफ सेकंड्री टीचर्स इन रिलेशन टू देयर पर्सनल

- वैरिबल्स— सेक्स, एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, सैलरी एंड रीलिजन. इंडियन एजुकेशनल रीव्यू जनवरी, वॉल्यूम 36(1)।
7. गुप्ता, एस.पी. 1980. ए स्टडी ऑफ जॉब सैटिस्फैक्शन एट थ्री लेवल ऑफ टीचिंग. पी.एचडी. थीसिस इन एजुकेशन, मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ।
 8. कौर, बी. 1983. जॉब सैटिस्फैक्शन ऑफ होम साइंस टीचर्स – इट्स रिलेशनशिप विद पर्सनल, प्रोफेशनल एंड ओर्गनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक, संपादन में बुच, एम.बी. (संपादक). फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन(1983-1988), रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली।
 9. रजनी, उप्पल, 2010, शिक्षण प्रशिक्षुओं में उच्च तथा निम्न अक्रियाशीलता का कार्य संतुष्टि के संबंध में प्रभाव का अध्ययन, शोध प्रबन्ध शिक्षाशास्त्र, पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब।
 10. गुप्ता, मधु एवं रचना जैन. 2003. जॉब सैटिस्फैक्शन ऑफ नर्सरी स्कूल टीचर्स वर्किंग इन दिल्ली. इंडियन साइकोलॉजिकल रिव्यू, 61, पृ.49-86।
 11. अरोड़ा, एस. 2014. द आर्गनाइजेशनल रोल स्ट्रेस एंड जॉब सैटिस्फैक्शन एमंग टीचर्स. पी.एचडी. थीसिस इन एजुकेशन, एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
 12. सरकार, शुभ्राजीत. 2018. ए स्टडी ऑफ जॉब सैटिस्फैक्शन ऑन शेड्यूलड कॉस्ट एंड शेड्यूलड ट्राइव टीचर्स इन रिलेशन टू देयर एडजस्टमेंट, ऐटिट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग प्रोफेशनल एंड ऐटिट्यूड टुवर्ड्स इन्फ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी एट सेकेंड्री लेवल इन वेस्ट बंगाल. पी.एचडी. थीसिस, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।
 13. कुमार, मुकेश. 2020. शिक्षक-प्रशिक्षकों की कार्य संतुष्टि का उनकी व्यावसायिक प्रतिबद्धता एवं संगठनात्मक वातावरण के संदर्भ में अध्ययन. शोध प्रबन्ध शिक्षाशास्त्र, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
 14. भारतीय आधुनिक शिक्षा, वर्ष 38, अंक: 4 अप्रैल 2018, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, पृष्ठ-81-103।



“मैं एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए कार्य करूंगा जिसमें निर्धनतम व्यक्ति भी ऐसा महसूस करे कि यह उसका अपना देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज प्रभावी है, एक ऐसा देश जिसकी जनता में न कोई उच्च वर्ग हो और न निम्न वर्ग, एक ऐसा भारत जहां सभी समुदाय सम्पूर्ण सौहार्द के साथ रहें। ऐसे भारत में छुआ-छूत की बुराई के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। यहां महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे।”

— महात्मा गांधी

नेहरू एवं टैगोर साक्षरता सम्मान के अवसर पर महामहिम उपराष्ट्रपति का उद्बोधन

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने दिनांक 19 दिसंबर 2021 को उपराष्ट्रपति भवन के सरदार वल्लभभाई पटेल सभागार, नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित नेहरू और टैगोर साक्षरता सम्मान समारोह में पुरस्कार प्रदान करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि यह निराशाजनक है कि आईटी और डिजिटलीकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बहुत प्रगति करने के बावजूद, भारत में अभी भी दुनिया के सबसे अधिक निरक्षर व्यक्ति हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान करते हुए उन्होंने इच्छा जताई कि साक्षरता अभियान को एक जन आंदोलन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांवों और कॉलोनियों में प्रत्येक शिक्षित युवा को आगे आना चाहिए और अपने क्षेत्रों या समुदायों के कम से कम एक व्यक्ति को यह सिखाना चाहिए कि कैसे लिखना है और डिजिटल उपकरणों को कैसे प्रचालित करना है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ किस प्रकार उठाना है। उन्होंने इसे उनका पर्सनल सोशल रेस्पॉसिबिलिटी (पीएसआर) बताया। उन्होंने कहा कि "हर एक शिक्षित एक असाक्षर व्यक्ति को पढ़ना-लिखना सिखाए" केवल एक नारा भर नहीं रह जाना चाहिए, बल्कि यह युवाओं के लिए एक प्रेरक शक्ति बन जानी चाहिए।

श्री नायडू ने मिशन मोड़ में निरक्षरता उन्मूलन का आह्वान करते हुए, स्कूलों को अपने छात्रों को सप्ताहांत पर अपने क्षेत्रों में वयस्क शिक्षा अभियान शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि छात्रों को ऐसे कार्यक्रमों के लिए कुछ अतिरिक्त अंक दिए जाने चाहिए।

उपराष्ट्रपति ने वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सभी पुरस्कार विजेताओं की प्रशंसा करते हुए, सभी से भारत को पूर्ण रूप से साक्षर और शिक्षित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने को कहा। उन्होंने कहा कि साक्षरता और शिक्षा लोगों को स्वाधीन बनाती है। वे परिवर्तन और प्रगति के मूलभूत साधनों के रूप में काम करती हैं। निरक्षरता के अलावा, उन्होंने गरीबी, शहरी-ग्रामीण विभाजन, सामाजिक भेदभाव और लैंगिक भेदभाव जैसी विभिन्न अन्य चुनौतियों पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

यह देखते हुए कि साक्षरता की उच्च दर सीधे तौर पर किसी देश की आर्थिक प्रगति और उसके नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित है, श्री नायडू ने सुझाव दिया कि भारत जैसे विकासशील देश में साक्षरता और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विभिन्न विकास कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन और परिणाम में मदद करती है। उपराष्ट्रपति ने साक्षरता को कौशल शिक्षा की पूर्व शर्त करार देते हुए कहा कि यह न केवल व्यक्ति में आत्मविश्वास का संचार करती है बल्कि उसके सामाजिक जीवन को अधिक सक्रिय और मर्यादित बनाने में भी मदद करती हैं।

भारत के प्रारंभिक स्तर पर लगभग सार्वभौमिक सकल नामांकन अनुपात अर्जित करने पर सभी हितधारकों की सराहना करते हुए, उपराष्ट्रपति ने इस तथ्य पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय लड़कियों में प्राथमिक स्तर पर लड़कों की तुलना में स्कूल में उच्च नामांकन दर है। उन्होंने कहा कि हमें सार्वभौमिक कार्यात्मक साक्षरता से कौशल शिक्षा और आजीवन सीखने की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

श्री नायडू ने प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर उचित जोर देने के लिए नई शिक्षा नीति – 2020 की प्रशंसा करते हुए, कहा कि यह दृष्टिकोण सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के आजीवन अवसरों का लाभ उठाने के माध्यम से वृद्धि और विकास के नए मार्ग खोलता है। उन्होंने कहा कि यह क्राउड फंडिंग तथा ऑनलाइन और ऐप-आधारित प्रौद्योगिकी, उपग्रह आधारित टेलीविजन चैनलों, ऑनलाइन अध्ययन संसाधनों तथा पुस्तकालयों के विकास और वयस्क शिक्षा केंद्रों के प्रचार सहित कई तरीकों की अनुशंसा करती है।

नेहरू और टेगोर साक्षरता पुरस्कार प्राप्त करने वालों को बधाई देते हुए उपराष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि वे 'शिक्षित और सशक्त भारत – शिक्षित और समर्थ भारत' के विज़न को साकार करने के लिए अपने काम को जारी रखेंगे।

उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ (आई.ए.ई.ए.) सन् 1966 से नेहरू साक्षरता पुरस्कार और सन् 1987 से टेगोर साक्षरता उन व्यक्तियों और संस्थानों को प्रदान करता रहा है जिन्होंने शिक्षा और राष्ट्रीय विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति महोदय ने प्रो. पी. आदिनारायण रेड्डी और प्रो. एम. सी. रेड्डप्पा रेड्डी को क्रमशः वर्ष 2019 और 2020 के लिए नेहरू साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया, जबकि प्रो. अनीता दिघे और श्रीमती निशात फारूक को क्रमशः पिछले दो वर्षों के लिए टेगोर साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया।



हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहन करें, और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें।

—स्वामी विवेकानन्द

राजकीय व निजी विद्यालयों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की परासंज्ञानात्मक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन

— रोमा भंसाली
— रेणु हिंगड

वर्तमान में अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया जटिल एवं चुनौतीपूर्ण हो गई है। अतः अध्ययन-अध्यापन मात्र अधिगम के लिए नहीं है अपितु वह छात्रों के चिन्तन शक्ति को विकसित करने के लिए भी है। छात्रों को स्वतः प्रेरित होकर अपनी क्षमताओं को अपने विषयों के संज्ञान ग्रहण करने योग्य तथा आत्मसात करने योग्य बनाना चाहिए। इस कार्य में परासंज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बालक में 12 वर्ष से 17 वर्ष की अवस्था में चिन्तन या तार्किक क्षमता में वृद्धि होती है और वे अमूर्त चिन्तन की ओर अग्रसर होते हैं। इस अवधि में विचारशील चिन्तन भी विकसित होती है जिसमें व्यक्ति अपने तर्क का परीक्षण एवं मूल्यांकन करता है।

यही अवस्था परासंज्ञान की अवस्था होती है। परासंज्ञान योजना निर्माण की प्रथम आवश्यकता होती है। ब्राउन, बेंसफोर्ड और फरेरा आदि मनावैज्ञानिक मानते हैं कि “परासंज्ञान का संबंध व्यक्ति के उस ज्ञान से है जो कि वह संज्ञान के बारे में रखता है।”

हॉवेल के अनुसार, “परासंज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसका मूल उद्देश्य एवं नियमन संज्ञान व्यवहार के किसी भी पहलू की जानकारी देना है।”

परासंज्ञान विकास की अवस्था में बालक अपेक्षाकृत अधिक विश्लेषणात्मक और व्यवस्थित तरीकों का प्रयोग अपने विचारों पर नियंत्रण करने के लिए करता है। यह अवस्था बालक के महत्वपूर्ण परिवर्तनों के प्रभाव को दर्शाती है। विशेषतौर पर उनकी कार्य प्रणाली में जिन्हें सामान्यतया योजना के अंग के रूप में देखा जाता है।

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि प्रतिभाशाली बालकों की परासंज्ञानात्मक योग्यता का अध्ययन करना अत्यावश्यक है।

शोध के उद्देश्य

1. राजकीय विद्यालयों व निजी विद्यालयों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के परासंज्ञानात्मक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. राजकीय विद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राओं की परासंज्ञानात्मक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

-
-
3. निजी विद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राओं की परासंज्ञानात्मक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना

1. राजकीय विद्यालयों व निजी विद्यालयों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की परासंज्ञानात्मक योग्यता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
2. राजकीय विद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राओं की परासंज्ञानात्मक योग्यता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
3. निजी विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राओं की परासंज्ञानात्मक योग्यता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन के दौरान शोधार्थी ने स्वयं द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के सार्थक परिणिति हेतु सर्वेक्षण विधि का चयन किया है।

न्यादर्श

न्यादर्श के तौर पर उदयपुर जिले के सरकारी व निजी विद्यालयों में अध्ययनरत 400 छात्र-छात्राओं पर बुद्धिलब्धि परीक्षण कर प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं का चयन किया गया जिनका वर्गीकरण निम्नवत् था—

| क्र.सं. | विद्यालय | छात्र | छात्राएं | योग |
|---------|-----------------|-------|----------|-----|
| 1. | राजकीय विद्यालय | 30 | 32 | 62 |
| 2. | निजी विद्यालय | 34 | 37 | 71 |
| योग | | 64 | 69 | 133 |

शोध उपकरण

प्रस्तुत शोध में डॉ. पुनीता गोविल द्वारा निर्मित परासंज्ञानात्मक वस्तुसूची प्रमापनी का उपयोग किया गया।

सांख्यिकी प्रविधियाँ

उपकरण द्वारा प्राप्त दत्तों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन व टी-परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्तों का विश्लेषण

प्रतिभाशाली बालकों की परासंज्ञानात्मक योग्यता के अध्ययन करने हेतु न्यादर्श के रूप में चयनित छात्र-छात्राओं पर परासंज्ञानात्मक वस्तुसूची प्रमापनी को प्रशासित किया गया। प्रशासन के पश्चात् प्राप्त उत्तर, प्रदत्तों का अंकन व प्राप्त अंकों का सारणीयन किया गया। क्षेत्रवार अंकन कर मानक विचलन, मध्यमान, टी-मूल्य ज्ञात कर प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं की परासंज्ञानात्मक योग्यता का अध्ययन किया गया।

1. राजकीय विद्यालयों व निजी विद्यालयों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के परासंज्ञानात्मक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

सारणी 1

| क्षेत्र | विद्यालय के प्रकार | संख्या | मध्यमान | मानक विचलन | मध्यमान में अन्तर | टी-मूल्य | पी-मूल्य |
|-------------------------|--------------------|--------|---------|------------|-------------------|----------|----------|
| परासंज्ञानात्मक योग्यता | राजकीय | 61 | 82.10 | 5.586 | 24.129 | 29.125 | 0.000 |
| | निजी | 71 | 106.23 | 3.914 | | | |

उपर्युक्त सारणी-1 के अनुसार राजकीय विद्यालयों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की परासंज्ञानात्मक योग्यता का मध्यमान 82.10 तथा मानक विचलन 5.586 प्राप्त हुआ जबकि निजी विद्यालयों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की परासंज्ञानात्मक योग्यता का मध्यमान 106.23 तथा मानक विचलन 3.914 प्राप्त हुआ। टी का मान 29.125 प्राप्त हुआ जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है। ($P < 0.01$) तात्पर्य यह है कि राजकीय तथा निजी विद्यालयों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की परासंज्ञानात्मक योग्यता में सार्थक अन्तर है। मध्यमान के अंक देखने पर यह स्पष्ट होता है कि निजी विद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की परासंज्ञानात्मक योग्यता राजकीय विद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की तुलना में अधिक पायी गयी। निजी विद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थी कुछ कार्य करने से पहले मस्तिष्क में कार्य की पूर्व योजना बनाते हैं, अपनी असफलता के कारणों का पता लगाकर पुनः आत्म विश्वास के साथ कोशिश करते हैं तथा पढ़ते समय उन्हें किसी भी प्रकार का व्यवधान पसंद नहीं है जबकि राजकीय विद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थी विषय-वस्तु को और अधिक जानने की कोशिश करते हैं तथा एक बार विषय-वस्तु को याद कर लेने पर वे उन्हें लम्बे समय तक याद रख पाते हैं।

2. राजकीय विद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राओं की परासंज्ञानात्मक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

सारणी 2

| क्षेत्र | विद्यालय के प्रकार/लिंग | संख्या | मध्यमान | मानक विचलन | मध्यमान में अन्तर | टी-मूल्य | पी-मूल्य |
|-------------------------|-------------------------|--------|---------|------------|-------------------|----------|----------|
| परासंज्ञानात्मक योग्यता | राजकीय छात्र | 30 | 81.87 | 5.526 | 0.446 | 0.312 | 0.756 |
| | राजकीय छात्राएं | 32 | 82.31 | 5.772 | | | |

उपर्युक्त सारणी-2 के अनुसार राजकीय विद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्रों के परासंज्ञानात्मक योग्यता

का मध्यमान 81.87 तथा मानक विचलन 5.526 प्राप्त हुआ जबकि राजकीय विद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्राओं की परासंज्ञानात्मक योग्यता का मध्यमान 82.31 तथा मानक विचलन 5.772 प्राप्त हुआ। टी का मान 0.312 प्राप्त हुआ जो कि 0.05 स्तर पर असार्थक है। ($P < .05$) तात्पर्य यह है कि राजकीय विद्यालयों की प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं की परासंज्ञानात्मक योग्यता में सार्थक अन्तर नहीं है। मध्यमान के अंक देखने पर यह स्पष्ट होता है कि राजकीय विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं की परासंज्ञानात्मक योग्यता समान है। राजकीय विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राओं को अपने जीवन का लक्ष्य पता होता है तथा वे उसे पाने की पूरी कोशिश करते हैं। कठिन विषय-वस्तु को पढ़ने का तरीका जानते हैं तथा अपने किये गये अध्ययन में दिये गये कार्य को समय-समय पर जांचते हैं।

3. निजी विद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राओं की परासंज्ञानात्मक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करना

सारणी 3

| क्षेत्र | विद्यालय के प्रकार/लिंग | संख्या | मध्यमान | मानक विचलन | मध्यमान में अन्तर | टी-मूल्य | पी-मूल्य |
|-------------------------|-------------------------|--------|---------|------------|-------------------|----------|----------|
| परासंज्ञानात्मक योग्यता | निजी छात्र | 30 | 81.87 | 5.526 | 0.446 | 0.312 | 0.756 |
| | निजी छात्राएं | 32 | 82.31 | 5.772 | | | |

उपर्युक्त सारणी-3 के अनुसार निजी विद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्रों के परासंज्ञानात्मक योग्यता का मध्यमान 106.06 तथा मानक विचलन 3.541 प्राप्त हुआ जबकि निजी विद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्राओं की परासंज्ञानात्मक योग्यता का मध्यमान 106.38 तथा मानक विचलन 4.271 प्राप्त हुआ। टी का मान 0.341 प्राप्त हुआ जो कि 0.05 स्तर पर असार्थक है। ($P < .05$) तात्पर्य यह है कि निजी विद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं की परासंज्ञानात्मक योग्यता में सार्थक अन्तर नहीं है। मध्यमान के अंक देखने पर यह स्पष्ट होता है कि निजी विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं की परासंज्ञानात्मक योग्यता समान है। निजी विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राएं किसी भी कार्य को करने से पहले मस्तिष्क में उसकी पूर्व कार्ययोजना बना लेते हैं, उन्हें पढ़ते समय किसी भी प्रकार का व्यवधान पसंद नहीं हैं तथा वे अपने जीवन लक्ष्य को पाने की पूरी कोशिश करते हैं।

निष्कर्ष

1. राजकीय विद्यालयों व निजी विद्यालयों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की परासंज्ञानात्मक योग्यता के तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष निम्नलिखित हैं—
 - राजकीय तथा निजी विद्यालयों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की परासंज्ञानात्मक योग्यता में सार्थक अन्तर पाया गया।
 - निजी विद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की परासंज्ञानात्मक योग्यता राजकीय विद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की तुलना में अधिक है।

- निजी विद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थी कुछ कार्य करने से पहले मस्तिष्क में कार्य की पूर्व योजना बनाते हैं, अपनी असफलता का पता लगाकर पुनः आत्म विश्वास के साथ कोशिश करते हैं जबकि राजकीय विद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थी विषय-वस्तु को और अधिक जानने की कोशिश करते हैं तथा एक बार विषय-वस्तु को याद कर लेने पर उन्हें लम्बे समय तक याद रख पाते हैं।
- 2. राजकीय विद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राओं की परासंज्ञानात्मक योग्यता में तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष –
 - राजकीय विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र व छात्राओं की परासंज्ञानात्मक योग्यता समान पायी गयी।
 - राजकीय विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राओं को अपने जीवन का लक्ष्य पता होता है तथा उसे पाने की पूरी कोशिश करते हैं, कठिन विषय-वस्तु को पढ़ने का तरीका जानते हैं तथा अपने अध्ययन में किये गये कार्य को समय-समय पर जांचते हैं।
- 3. निजी विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राओं की परासंज्ञानात्मक योग्यता के तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष –
 - निजी विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राओं की परासंज्ञानात्मक योग्यता में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
 - निजी विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राओं की परासंज्ञानात्मक योग्यता समान पायी गयी।
 - निजी विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राएं किसी भी कार्य को करने से पहले मस्तिष्क में उसकी पूर्व कार्ययोजना बना लेते हैं तथा वे अपने जीवन के लक्ष्य को पाने की पूरी कोशिश करते हैं।

शोध कार्य का शैक्षिक महत्व

इस शोध के परिणाम इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि तुलनात्मक दृष्टि से अधिकांश परिस्थितियों में निजी विद्यालयों के प्रतिभाशाली विद्यार्थी की परासंज्ञानात्मक योग्यता राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक पायी गयी। परासंज्ञानात्मक योग्यता के फलस्वरूप वे योजना बनाने, भविष्यवाणी करने, तर्क करने, प्रबन्धन करने, जांच करने के बारे में स्वयं की सोच रखते हैं। यही सोच की अवस्था परासंज्ञान की अवस्था होती है। जितना बालकों की परासंज्ञानात्मक योग्यता होगी उतनी ही उनका अधिगम उत्कृष्ट होगा।

संदर्भ :

- 1 ओड, लक्ष्मीलाल के. (2005). शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि, जयपुर : राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
- 2 चौबे, एस.पी. एवं चौबे, अखिलेश(2004). शैक्षिक मनोविज्ञान के मूलाधार, मेरठ : इण्टरनेशनल पब्लिशर्स हाऊस।
- 3 ढौंडियाल, एस.एन. एवं फाटक ए.बी.(1972).शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र, जयपुर : राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।

- 4 पाठक, पी.डी.(2008). शिक्षा मनोविज्ञान, चालीसवाँ संशोधित सं., आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।
- 5 श्रीवास्तव, डी.एन. (2008). सांख्यिकी एवं मापन, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।
- 6 याकूब, जे.ई. पेरिस व अन्य(1987)“बच्चों के पढ़ने के बारे में परासंज्ञानात्मकता-परिभाषा और अनुदेश, शैक्षिक मनोविज्ञान, 22:225-278।
- 7 मेटकाल्क, जे. और अन्य (1994) परासंज्ञानात्मकता, केम्ब्रिज,एम.एन.एम.आई.टी.प्रेस।



PROUDH SHIKSHA

Form IV

| | |
|---|--|
| 1. Place of Publication | Indian Adult Education Association 17-B, Indraprastha Estate New Delhi – 110 002 |
| 2. Periodicity of Publication | Biannual |
| 3. Printer's Name Nationality Address | Suresh Khandelwal Indian 17-B, Indraprastha Estate New Delhi – 110 002 |
| 4. Publisher's Name Nationality Address | Suresh Khandelwal Indian 17-B, Indraprastha Estate New Delhi – 110 002 |
| 5. Editor's Name Nationality Address | Suresh Khandelwal Indian 17-B, Indraprastha Estate New Delhi – 110 002 |
| 6. Name and address of individuals who own the newspaper and partners or shareholders, holding more than one percent of the total capital | Indian Adult Education Association 17-B, Indraprastha Estate New Delhi – 110 002 |

I, Suresh Khandelwal, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated: 01-03-2022

Sd/-
Suresh Khandelwal
Publisher

विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन

— बीना चौधरी
— टी.सी. पाण्डेय

इस शोध पत्र में विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया है। इस शोध हेतु उत्तराखण्ड राज्य में स्थित कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल से संबद्ध कॉलेजों/परिसरों में प्रशिक्षणरत 130 विद्यार्थी-शिक्षकों का चयन साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया। विशाल सूद और आरती आनन्द (2014) द्वारा निर्मित व प्रमाणीकृत मानवाधिकार जागरूकता परीक्षण का प्रयोग किया गया। प्राप्त आँकड़ों की सार्थकता स्पष्ट करने हेतु वर्णनात्मक तथा अनुमानात्मक सांख्यिकी का प्रयोग किया गया। आँकड़ों के विश्लेषण के पश्चात् जेंडर, निवास-स्थान तथा परिवार के स्वरूप के आधार पर विद्यार्थी-शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

सृष्टि के निर्माण के साथ ही मनुष्य ने अपना जीवन अर्थपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न कर्तव्यों का निर्धारण किया, जिससे सभी मनुष्यों को अपने-अपने कार्य करने में सहजता होने लगी और इस प्रकार एक सामाजिक व्यवस्था का विकास होने लगा, जिसके साथ-साथ उसके दायित्व भी निर्धारित होने लगे। प्रारंभ में मनुष्य के कर्तव्यों का निर्धारण परिवार में उसकी स्थिति तथा जेंडर और समाज में उसके पद व आर्थिक स्थिति के आधार पर होता था। यह सामाजिक दृष्टि से आवश्यक भी था। प्रारंभ में जो व्यक्ति जैसा कार्य करता था, वह उसी वर्ग का माना जाता था। धीरे-धीरे कर्तव्यों की यह सामाजिक व्यवस्था कर्म प्रधान न होकर जन्म प्रधान होने लगी। परिणामतः विभिन्न वर्णों ने आकार लिया।

प्राचीन काल में समाज को मुख्यतः चार वर्णों – ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण का कर्तव्य विद्या प्रदान करना, क्षत्रिय का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना व युद्ध करना, वैश्यों का कर्तव्य आर्थिक व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए व्यापार करना तथा शूद्रों का कर्तव्य सेवा करना बन गया। समाज में बनी इस वर्ण व्यवस्था से धीरे-धीरे लोगों में संघर्ष पनपने लगा। सशक्त व्यक्तियों द्वारा असहाय व दलित व्यक्तियों पर अत्याचार किए जाने लगे और इन्हीं अत्याचारों के विरोध में मानव अधिकारों की नींव रखी गयी। लोगों को जीवन में संघर्ष के दौरान समझ आने लगा कि समाज में अपनी स्थिति को बनाए रखने तथा उसमें निरंतर सुधार करने के लिए मात्र कर्तव्य ही पर्याप्त नहीं होते हैं, अपितु इन कर्तव्यों के साथ ही उनके पास मनुष्य होने के नाते कुछ अधिकार भी होने चाहिए जो सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं।

एक व्यक्ति तब तक अपने अधिकारों का आनंद प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता हो। अतः यह तो तय हो गया था कि कर्तव्य और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। कोई भी धर्म, जाति, सम्प्रदाय

या स्थान विशेष इन्हें प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। मानव अधिकार के सिद्धांत मनुष्यों द्वारा ही विकसित किए गए हैं, जिसमें मनुष्य की प्रतिष्ठा का उचित तथा समान रूप से सम्मान करने की प्रतिबद्धता होती है। मानवाधिकारों का अस्तित्व में होना ही इस बात को दर्शाता है कि प्रत्येक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के जीवन का मूल्य समझना आवश्यक है। मानवाधिकारों की उत्पत्ति से संबंधित कई सिद्धांत हैं जिनमें प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, अधिकारों की न्याय-संगतता का सिद्धांत, अधिकारों के सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, अधिकारों का आदर्शवादी तथा ऐतिहासिक सिद्धांत प्रमुख हैं। मानवाधिकारों में नागरिक और राजनैतिक अधिकार प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार हैं, जिन्हें नकारात्मक अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकार सरकार को ऐसे कार्य करने से मना करते हैं जिनके करने से इन अधिकारों का उल्लंघन होता हो। आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकार राज्य का सक्रिय हस्तक्षेप चाहते हैं, न कि राज्य की तटस्थता। इसके अतिरिक्त विकास का अधिकार तथा पर्यावरण के प्रति अधिकार भी हैं जिन्हें तृतीय पीढ़ी के अधिकार भी कहा जाता है (नसीमा, 2014)। ये अधिकार समय की माँग के अनुसार अस्तित्व में आए हैं।

द्वितीय विश्वयुद्ध के हिंसक परिणामों के बाद वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की माँग निरंतर बढ़ने लगी। मानवाधिकारों के संरक्षण व संवर्द्धन के लिए वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया तथा मानवाधिकारों से संबंधित अधिकारों को निर्धारित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय लेख पत्र का प्रारूप तैयार किया गया। आगे चलकर इसी प्रारूप के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (1947) ने मानवाधिकारों लिए एक अलग अनुबंध तैयार किया। इसी दस्तावेज को 'मानवाधिकार का अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध' कहा जाता है (अग्रवाल, 2014)। 10 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य महासभा ने मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को स्वीकृति प्रदान करते हुए इसके क्रियान्वयन की घोषणा की। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति व समाज के प्रत्येक घटक को इस हेतु प्रेरित करना है कि वे लगातार इस घोषणा को दृष्टि में रखते हुए अध्यापन कार्य करेंगे तथा शिक्षा के द्वारा यह प्रयत्न करेंगे कि इन अधिकारों व स्वतंत्रता के प्रति सम्मान की भावना जाग्रत हो और उत्तरोत्तर ऐसे अधिकारों के सार्वभौमिकता तथा प्रभावोत्पादकता को स्वीकृति मिले तथा उनका पालन किया जाय।

वर्ष 1949 में, यूरोपीय परिषद् ने यह सहमति जताई कि मानवाधिकारों का शिक्षण पाठ्यचर्चा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए। यूरोपीय परिषद्, 1981 के अनुसार, विद्यालय का सामाजिक परिवेश विद्यार्थियों को अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को पहचानने, अपने व्यक्तित्व को भली-भाँति प्रस्तुत करने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों व संकल्पनाओं को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। मानवाधिकार शिक्षा को पाठ्यचर्चा में शामिल करने के लिए अमेरिका, जर्मनी आदि देश आगे आए तथा मानवाधिकार शिक्षा को पाठ्यचर्चा में सम्मिलित करने हेतु विभिन्न देशों ने भिन्न-भिन्न निर्धारकों का चयन किया। मानवाधिकार से संबंधित सार्वभौमिक घोषणा पत्र में उल्लेखित अनुच्छेद 26 के अनुसार, शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास को दिशा प्रदान करने वाली तथा मौलिक स्वतंत्रता व मानवाधिकार के सम्मान को शक्ति प्रदान करने वाली होनी चाहिए। यह समस्त देशों के मध्य सहनशीलता, मित्रता व समझ को बढ़ावा देने वाली तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित शांति को बनाए रखने से संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए, (नसीमा, 2014)।

यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय सभा (1993) ने यह स्वीकार किया कि मानवाधिकार शिक्षा, भेदभाव, अन्याय, अनुचित व्यवहार, अलोकतांत्रिक व्यवहार, सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास, उत्पीड़न, बंधुआ मजदूरी, मानवाधिकार के प्रति निरक्षरता तथा किसी भी स्तर पर मानवाधिकार की अवमानना से सुरक्षा प्रदान करने वाली होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की सामान्य महासभा, 1994 ने 1 जनवरी, 1995 से वर्ष 2005 तक आने वाले अगले दस वर्षों को मानवाधिकार शिक्षा का दशक घोषित किया। महासभा में यह कहा गया कि मानवाधिकार शिक्षा का तात्पर्य मात्र सूचनाएँ देना नहीं है। यह जीवनपर्यंत चलने वाली विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें विकास के प्रत्येक चरण में तथा समाज के प्रत्येक स्तर में लोग एक-दूसरे का सम्मान व आदर करें। अतः मानवाधिकार शिक्षा का तात्पर्य व्यक्तियों में उस भावना का विकास करना है, जहाँ पर वे मानवाधिकारों को समझ सकें तथा दूसरों के महत्व को आदर दे सकें।

मानवाधिकार भारतीय समाज के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन का क्रमिक विकास है। पूर्वी देशों में रहने वाले व्यक्तियों के कर्तव्य पश्चिमी देशों में रहने वाले व्यक्तियों के अधिकारों के रूप में सामने आए। स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान को मूर्तरूप देने वाले विद्वानों ने पूर्व एवं पाश्चात्य, दोनों ही दर्शनों को लेकर भारतीय राजनीति तथा भारतीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य से तालमेल बैठाते हुए मानवाधिकार के प्रत्ययों का समावेश संविधान में किया। भारतीय संविधान के भाग तीन में व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के रूप में कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। 'मौलिक' शब्द दर्शाता है कि ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होने के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व व आत्म सम्मान के लिए अत्यंत आवश्यक हैं तथा किसी भी राज्य व प्रशासन द्वारा इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है।

भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, "मौलिक अधिकारों के उल्लेखन का उद्देश्य एक तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति इन अधिकारों का दावा कर सके और दूसरा यह है कि प्रत्येक अधिकारी इन्हें मानने के लिए विवश हो।" भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों से संबंधित सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध में वर्णित अधिकारों की भाँति निर्दिष्ट है। इन्हें 'निर्दिष्ट इसलिए कहा गया है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार संविधान में उनके नाम के द्वारा उल्लेखित किए गए हैं। तालिका 1 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों के अनुबंध पत्र व भारतीय संविधान में उल्लेखित संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं।

तालिका 1 – अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध पत्र व भारतीय संविधान में उल्लेखित मानवाधिकारों से संबंधित अनुच्छेद (नागरिक व राजनैतिक अधिकारों के संदर्भ में)

| क्र. सं. | अधिकार | नागरिक व राजनैतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध पत्र में वर्णित अनुच्छेद | भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद |
|----------|-----------------------------|--|------------------------------------|
| 1. | बाल श्रम/बेगारी/जबरन मजदूरी | अनुच्छेद 8 (3) | अनुच्छेद (23) |
| 2. | कानून के समक्ष समानता | अनुच्छेद 14 (1) | अनुच्छेद 14 |

| | | | |
|-----|---|-----------------------------------|-------------------------|
| 3. | भेदभाव का निषेध | अनुच्छेद 26 | अनुच्छेद 15 |
| 4. | सेवाओं में समान अवसर | अनुच्छेद 25 (ब) | अनुच्छेद 16 (1) |
| 5. | भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता | अनुच्छेद 19 (1) तथा (2) | अनुच्छेद 19 (1) |
| 6. | शांतिपूर्ण सभाएँ करने की स्वतंत्रता | अनुच्छेद 21 | अनुच्छेद 19 (1) इ |
| 7. | संगठन बनाने की स्वतंत्रता | अनुच्छेद 22 (1) | अनुच्छेद 19 (1) ब |
| 8. | देश/राज्य के किसी भी भाग में आबाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता | अनुच्छेद 22 (1) | अनुच्छेद 19 (1) क तथा ब |
| 9. | अभियोग तथा दण्डात्मक कार्यवाही के विरुद्ध सुरक्षा | अनुच्छेद 14 (7) | अनुच्छेद 20 (2) |
| 10. | स्वयं के प्रति साक्ष्य देने के लिए बाध्य न करने का अधिकार | अनुच्छेद 14 (3) (ह) | अनुच्छेद 20 (3) |
| 11. | जीवन जीने तथा स्वतंत्रता का अधिकार | अनुच्छेद 6 (1) तथा अनुच्छेद 9 (1) | अनुच्छेद 21 |

नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के समान ही आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित अनुबंध भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए हैं। जहाँ एक ओर नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य को कानून द्वारा बाध्य किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में इन अधिकारों का वर्णन भाग 4 में किया गया है, जिन्हें राज्य के 'नीति निर्देशक तत्व' भी कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मानवाधिकारों के ही अंग हैं, क्योंकि यह आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों को पूर्णतः समाए हुए हैं। जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों के अनुबंध में अनुच्छेदों का वर्णन है, उसी प्रकार भारतीय संविधान में भी विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से उपरोक्त अधिकारों का भी वर्णन किया गया है, जिसे तालिका 2 में दर्शाया गया है।

मानवाधिकारों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठी तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता रहा है। इन संगोष्ठियों व कार्यशालाओं का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक स्थान पर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना होना चाहिए ताकि सार्वभौमिक रूप से

मानवाधिकारों का अनुप्रयोग किया जा सके। वास्तव में, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की जागरूकता को बढ़ाना, प्रश्न पूछने के लिए साहस प्रदान करना तथा समस्याओं को मुखरित करने के लिए प्रेरित करना है। शिक्षा का प्रारम्भिक लक्ष्य एक व्यक्ति को उसकी जीवन यात्रा शुरू करने हेतु मूलभूत रूप से ज्ञान, अभिवृत्ति, मूल्य व कौशल प्रदान करना है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। व्यक्ति मानवाधिकारों की शिक्षा प्राप्त कर, जागरूक हो समाज में परिवर्तन लाने में समर्थ हो सकता है। मानवाधिकारों की शिक्षा बच्चों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करने की वकालत करती है। विद्यालय में बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी देना तथा तदनुरूप व्यवहार करना सिखाया जाना चाहिए। अपने अधिकारों का संरक्षण व उनका सम्मान करना सिखाना ही अध्यापक का कर्तव्य होना चाहिए।

तालिका 2 – अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध पत्र तथा भारतीय संविधान में उल्लेखित मानवाधिकारों से संबंधित अनुच्छेद (आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के संदर्भ में)

| क्र. सं. | अधिकार | आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध में वर्णित अनुच्छेद | भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद |
|----------|---|--|------------------------------------|
| 1. | समान कार्य के लिए समान वेतन | अनुच्छेद 7 a(i) | अनुच्छेद 39 (d) |
| 2. | कार्य करने के लिए सुरक्षित तथा मानवीय दशाएँ | अनुच्छेद 7 (b) | अनुच्छेद 42 |
| 3. | प्रसूति सहायता | अनुच्छेद 10 (2) | अनुच्छेद 42 |
| 4. | काम पाने का अधिकार | अनुच्छेद 6 (1) | अनुच्छेद 42 |
| 5. | बच्चों के लिए अवसर | अनुच्छेद 10 (3) | अनुच्छेद 39 (f) |
| 6. | बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा | अनुच्छेद 13 (2) (a) | अनुच्छेद 45 |
| 7. | जीवन निर्वाह मजबूरी | अनुच्छेद 7 (a) (aaaii) | अनुच्छेद 43 |
| 8. | पर्याप्त जीवन स्तर बनाए रखना | अनुच्छेद 11 | अनुच्छेद 47 |
| 9. | कार्य की दशाएँ | अनुच्छेद 7 (d) | अनुच्छेद 43 |
| 10. | बच्चों की शिक्षा का अधिकार | अनुच्छेद 13 (1) | अनुच्छेद 21 (a) |

इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत में मानवाधिकार से संबंधित शिक्षा की नींव 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा रखी गई। शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्चा के लिए प्रसिद्ध चट्टोपाध्याय समिति (1983) ने भी शिक्षक शिक्षा में मानवाधिकार की अनुशंसा की। समिति के अनुसार शिक्षक को शिक्षा के सामाजिक परिदृश्य के प्रति जिम्मेदार व संवेदनशील होना चाहिए। इसके लिए शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में कई आमूलचूल बदलाव लाए गए।

वर्ष 1986 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा के लागू होने पर विद्यालयी पाठ्यचर्चा में मानवाधिकार शिक्षा को व्यापक स्थान दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, आज़ादी के लिए जन-जन का संघर्ष, गाँधीजी द्वारा चलाए गए मानवता की रक्षा से संबंधित आंदोलन, भारतीय संविधान जैसे महत्वपूर्ण प्रकरणों को सामाजिक विषय में स्थान दिया गया। संधारणीय विकास को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण, समानता व भेदभाव, सामाजिक बाधाओं, रीति-रिवाजों आदि से संबंधित मुद्दे जो मानवाधिकार से संबंधित हैं, उनका वर्णन यथोचित रूप से पाठ्यचर्चा में किया गया। शिक्षक शिक्षा राष्ट्रीय आयोग ने क्रमशः वर्ष 1978, 1988, 1989, तथा 2009 में शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्चा में अपनी अनुशंसाएँ दी हैं। मानवाधिकार शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय आयोग 1978 में कहा गया है कि अध्यापक शिक्षा बच्चों व उस समुदाय की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं व जीवन के साथ जुड़ी होनी चाहिए जिससे वे जुड़े हुए हैं (एन.सी.टी.ई., 1978)! शिक्षा समाज में परिवर्तन का एक प्रमुख माध्यम है तथा शिक्षक द्वारा इस परिवर्तन को मूर्त रूप दिया जा सकता है। वर्ष 1988 में शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्चा में कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए जो मानवाधिकार शिक्षा से जुड़े हुए थे। विद्यार्थी-शिक्षकों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोकतांत्रिकता, नागरिकता, सहनशीलता, दूसरों के प्रति समझ का विकास, सहयोग की भावना तथा सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता आदि गुणों का विकास किया जाना इत्यादि पाठ्यचर्चा के प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, समान अधिकार, सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण का संरक्षण व नागरिकता की ज़िम्मेदारियों के प्रति सामाजिक, सांस्कृतिक व नैतिक मूल्य उन्मुखी शिक्षा को भी पाठ्यचर्चा में अहम स्थान दिया गया (एन.सी.टी.ई., 1988)।

भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रीय मूल्य व लक्ष्यों को प्रतिस्थापित करना, शिक्षकों की सामाजिक एकजुटता, बाल अधिकारों व मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय समझ व संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना तथा किसी भी पूर्वाग्रह व पक्षपात के प्रति शिक्षकों में तार्किक क्षमता का विकास करना आदि वर्ष 1998 में, शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्चा के प्रमुख बिंदु निर्धारित किए गए (एन.सी.टी.ई., 1988)। वर्ष 2009 व वर्ष 2014 की राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्चा में समाज की भाषागत, धार्मिक, जातिगत व वैयक्तिक विभिन्नता से संबंधित मानवीय मूल्यों के विकास पर जोर दिया गया (एन.सी.टी.ई., 2009)। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो मानवाधिकार शिक्षा, शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है।

अतः मानवाधिकारों की जागरूकता के संदर्भ में शिक्षा व शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्चा की भूमिका के महत्व को देखते हुए इस शोध पत्र में विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन की आवश्यकता

वर्तमान में, मानवाधिकारों के निरंतर हनन होने के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय बना हुआ है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विकास से संबंधित कई आयोग बने हुए हैं जो इनसे संबंधित घटनाओं, समस्याओं तथा नीतियों पर कार्य करते हैं। किसी भी देश में बच्चे उस देश की भावी पीढ़ी होने के नाते भविष्य के निर्धारक होते हैं। यदि बचपन से ही उनमें अपने अधिकारों

के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो जाए तो मानवाधिकारों के हनन होने से जो समस्याएँ समाज में व्याप्त हो जाती हैं, उन पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। एक व्यक्ति अपने अधिकारों का समुचित प्रयोग तभी कर सकता है, जब वह उनके प्रति जागरूक हो। प्रायः देखा गया है कि अभिभावक ही मानवाधिकारों की जानकारी समुचित रूप से नहीं रखते हैं। परिणामस्वरूप वे इनके हनन का शिकार तो होते ही हैं साथ ही बच्चों में भी इनके हनन के प्रति विरोध की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। इस स्थिति में जब एक बच्चा विद्यालय में आता है तो यह विद्यालय या उससे जुड़े शिक्षकों का दायित्व हो जाता है कि वे अपने विद्यार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता उत्पन्न करें। एक विद्यार्थी अपने शिक्षा संबंधी विषयों का आनंद विद्यालय में रहकर ही प्राप्त कर सकता है। एक शिक्षक अपने शिक्षण में इस प्रकार की गतिविधियों का समावेश कर सकता है जो विद्यार्थियों में आपसी तालमेल, लोकतंत्र की भावना का विकास तथा मानवाधिकारों के विषय से उनका परिचय करा सकें। विद्यालयी परिवेश में बच्चे खेल-खेल में ही इन जानकारियों को प्राप्त कर इनके प्रति जागरूक हो सकते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को मानवाधिकारों की जानकारी, उनकी समझ व जागरूकता तभी प्राप्त हो सकेगी जब उन्हें शिक्षित करने वाला शिक्षक इनके प्रति स्वयं जागरूक होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन विशेषकर भावी शिक्षकों में इनके प्रति जागरूकता, शोध का एक महत्वपूर्ण विषय है। एक प्रशिक्षित शिक्षक विद्यार्थियों को उनके दायित्व की विविधता के अनुरूप ज्ञान देकर इस विषय में उन्हें जागरूक कर सकता है। मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। यदि समाज में शांति व समृद्धि बनाए रखनी है तो मानवाधिकारों को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी-शिक्षक भावी शिक्षकों के रूप में होते हैं। उन्हें भविष्य में उन बच्चों के साथ कार्य करना होता है जो आने वाले समय में नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ ही अपने अधिकारों का उपभोग भी करेंगे और यह तभी संभव हो पाएगा जब उन्हें प्रारंभ से ही अपने अधिकारों की समुचित जानकारी होगी। अतः विद्यालय विशेषकर कक्षा-कक्षा एक ऐसा स्थान है जहाँ बच्चा अपने अधिकारों से व्यावहारिक रूप से प्रथम बार परिचित होता है। एक लोकतांत्रिक कक्षा का हिस्सा होने से उसे न केवल अपने अधिकारों की जानकारी मिलती है, अपितु उसमें दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों की समझ भी विकसित होती है। विद्यार्थियों में इस प्रकार की समझ को विकसित करने का उत्तरदायित्व एक शिक्षक के हाथ में होता है। इस संदर्भ में विद्यार्थी-शिक्षक का मानवाधिकारों के प्रति जागरूक होना एक स्वस्थ समाज की आवश्यकता है।

संबंधित साहित्य का अध्ययन

मानवाधिकारों की समझ व उनके प्रति जागरूकता से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन के अंतर्गत तिवारी (2002) ने माध्यमिक विद्यालयों के संबद्ध शिक्षिकाओं की मानवाधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया। शोध का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की स्थिति के प्रति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना था। निष्कर्षतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की स्थिति के प्रति ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। पाण्डे (2005) ने विद्यालयी शिक्षा

के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं व विद्यार्थी-शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता संबंधी प्रश्नावली का प्रयोग किया तथा परिणाम प्राप्त किए कि देश के प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न किताबों में समावेशित मूलभूत मानवाधिकारों के प्रत्ययों के विषय में, शिक्षक में जागरूकता की कमी पाई गई तथा मानवाधिकार की शिक्षा को उपलब्ध कराने वाले समावेशित मॉडल शिक्षकों तथा विद्यार्थी-शिक्षकों को इस प्रत्यय के विषय में, समर्थ बनाने में पूर्णतः सफल नहीं पाए गए। कटौच (2012) ने "ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस अमंग सेंकंड्री टीचर्स ट्रेनीज ऑफ हिमाचल प्रदेश" विषय पर अध्ययन किया तथा निष्कर्ष में पाया कि जेंडर के आधार पर माध्यमिक विद्यार्थी-शिक्षक में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर है तथा मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी-शिक्षकों से अधिक है। अशरफ (2013) ने बी.एड. तथा डी.एल.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया। शोधोपरांत बी.एड. तथा डी.एल.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों में, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का स्तर औसत पाया गया व पुरुष डी.एल.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों में, महिला डी.एल.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों की अपेक्षा अधिक जागरूकता पाई गई। कुमार पक्कीरीसामी तथा शिवकुमार (2004) ने बी.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य मानवाधिकार के प्रति जागरूकता विषय पर अध्ययन किया तथा परिणाम निकाला कि बी. एड. विद्यार्थी-शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का स्तर कम है। महिला बी.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों में, पुरुष बी.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों की अपेक्षा मानवाधिकार के प्रति अधिक जागरूकता है। मातलीवाला (2014) ने "ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस अमंग बी.एड. स्टूडेंट्स" विषय पर शोध कार्य किया। निष्कर्षतः बी.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों में, मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का स्तर औसत से भी कम पाया गया।

पांडियन (2015) ने नागालैण्ड के उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के मध्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया। शोध के पश्चात् निष्कर्ष में पाया गया कि सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों में, निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अपेक्षा मानवाधिकारों के प्रति औसत जागरूकता है। सिंह, भोजी और हरजिन्दर (2015) ने "बी.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य मानवाधिकारों की जागरूकता का अध्ययन विषय पर शोध कार्य किया तथा शोध में बी.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों में, अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों के प्रति जागरूकता में कमी पाई गई। शशिकला तथा फ्रांसिस्को (2016) ने "ए ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस अमंग फीमेल्स बी.एड. स्टूडेंट्स" विषय पर अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात् निष्कर्ष निकाला कि कला वर्ग की महिलाओं में बी.एड. विद्यार्थी शिक्षकों की अपेक्षा मानवाधिकारों के प्रति अधिक जागरूकता है।

उक्त सभी शोध कार्यों का पुनरावलोकन करने से ज्ञात होता है कि इन शोधों में मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात किया गया है। पूर्ववर्ती शोधों में विद्यार्थी, शिक्षक तथा विद्यार्थी-शिक्षक से संबंधित न्यादर्शों का चयन किया गया। लेकिन कोई भी शोध कुमाऊँ विश्वविद्यालय से संबद्ध बी.एड. कॉलेजों/परिसरों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के विषय में नहीं किया गया। अतः इस विषय पर शोध कार्य किया गया जो इस शोध पत्र का आधार है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के निम्न उद्देश्य थे –

- विद्यार्थी-शिक्षक के मध्य जेंडर के आधार पर मानवाधिकार के प्रति जागरूकता की तुलना करना।
- विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य निवास स्थान के आधार पर मानवाधिकार के प्रति जागरूकता की तुलना करना।
- विद्यार्थी-शिक्षक के मध्य परिवार के स्वरूप के आधार पर मानवाधिकार के प्रति जागरूकता की तुलना करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ

इस शोध अध्ययन की निम्न परिकल्पनाएँ थीं –

- विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य जेंडर के आधार पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य निवास स्थान के आधार पर मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- विद्यार्थी-शिक्षक के मध्य परिवार के स्वरूप के आधार पर मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध अध्ययन कार्य-विधि

शोध अध्ययन हेतु वर्णनात्मक अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। इस अध्ययन हेतु कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल से संबद्ध स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट, माँ पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चम्पावत तथा सोबन सिंह जीना, कुमाऊँ विश्वविद्यालय परिसर, अल्मोड़ा के शिक्षा संकाय में, वर्ष 2018-19 में संचालित बी.एड. कक्षाओं में प्रशिक्षणरत 390 महिला व पुरुष विद्यार्थी-शिक्षकों में से 130 महिला व पुरुष विद्यार्थी-शिक्षकों का चयन साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया।

शोध अध्ययन हेतु उपकरण

इस अध्ययन में विशाल सूद तथा आरती आनन्द (2014) द्वारा निर्मित व प्रमाणीकृत मानवाधिकार जागरूकता परीक्षण का प्रयोग आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए किया गया। यह परीक्षण मानवाधिकारों से संबंधित तीन प्रमुख आयामों, जैसे – मानवाधिकार की विषय-वस्तु से संबंधित जानकारी (नॉलेज अबाउट ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट्स), मानवाधिकार से संबंधित प्रत्ययों की जानकारी तथा उनके विषय में समझ (नॉलेज अबाउट ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट्स) तथा मानवाधिकार के हनन से संबंधित परिस्थितियों में समझ (अंडरस्टैंडिंग अबाउट सिचुएशंस इन्वोल्विंग ह्यूमन राइट्स) पर आधारित है। परीक्षण में कुल 50 कथन हैं। प्रत्येक कथन के सामने तीन विकल्प सत्य, अनिश्चित तथा असत्य दिए गए हैं। परीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थी-शिक्षकों की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का निर्धारण किया गया। प्राप्त आँकड़ों की सार्थकता स्पष्ट करने हेतु मध्यमान, मानक विचलन तथा t परीक्षण का प्रयोग किया गया।

तालिका 3 – विद्यार्थी-शिक्षक के मध्य जेंडर के आधार पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की तुलना का विवरण

| क्र. सं. | जेंडर | संख्या | मध्यमान | मानक विचलन | t – मान | df मान | सार्थकता स्तर |
|----------|-----------------------------|--------|---------|------------|---------|--------|--------------------|
| 1. | पुरुष विद्यार्थी- शिक्षक | 35 | 72.85 | 11.180 | 0.536 | 128 | 0.05 पर स्वीकृत |
| 2. | महिला विद्यार्थी- शिक्षक | 95 | 71.68 | 7.669 | | | |

तालिका 4 – विद्यार्थी-शिक्षक के मध्य निवास स्थान के आधार पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की तुलनात्मक अध्ययन का विवरण

| क्र. सं. | क्षेत्र का प्रकार | संख्या | मध्यमान | मानक विचलन | t – मान | df मान | सार्थकता स्तर |
|----------|---|--------|---------|------------|---------|--------|--------------------|
| 1. | ग्रामीण क्षेत्र में – निवास करने वाले विद्यार्थी- शिक्षक | 69 | 71.34 | 10.21 | 0.932 | 128 | 0.05 पर स्वीकृत |
| 2. | महिला विद्यार्थी- शिक्षक | 61 | 72.73 | 6.68 | | | |

ऑकड़ों का विश्लेषण तथा विवेचना

अध्ययन से संबंधित ऑकड़ों का विश्लेषण तालिका 3, 4 तथा 5 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विद्यार्थी-शिक्षकों में, जेंडर के आधार पर मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के संदर्भ में पुरुष विद्यार्थी-शिक्षकों की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान व मानक विचलन क्रमशः 72.85 व 11.180 है तथा महिला विद्यार्थी-शिक्षकों का मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान व मानक विचलन क्रमशः 71.68 व 7.669 है। जेंडर के आधार पर विद्यार्थी-शिक्षकों की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की तुलना करने हेतु t – परीक्षण की गणना की गई, जिसके अनुसार t – मान 0.536 पाया गया, जो तालिका में स्वतंत्रता अंश 128 पर 0.05 विश्वास स्तर पर निर्धारित – मान 1.98 से कम है। अतः जेंडर के आधार पर दोनों समूहों में 0.05 विश्वास स्तर पर कोई सार्थक अंतर नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना संख्या 1 “विद्यार्थी-शिक्षक के मध्य जेंडर के आधार पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है”, 0.05 सार्थकता स्तर पर स्वीकृत की जाती है।

तालिका 4 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विद्यार्थी-शिक्षकों के ग्रामीण शहरी क्षेत्र में निवास करने के आधार पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले विद्यार्थी-शिक्षक की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का मध्यमान व मानक विचलन क्रमशः 71.34 व 10.21 तथा शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले विद्यार्थी-शिक्षक की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का

मध्यमान व मानक विचलन क्रमशः 72.73. व 6.68 है। निवास स्थान के आधार पर विद्यार्थी-शिक्षक की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की तुलना करने हेतु t – परीक्षण की गणना की गई। जिसके आधार पर t – मान 0.932 पाया गया जो तालिका में स्वतंत्रता अंश 128 पर 0.05 सार्थकता स्तर पर निर्धारित t – मान 1.98 से कम है। अतः निवास स्थान के आधार पर दोनों समूहों (ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र) में 0.05 सार्थकता स्तर पर कोई सार्थक अंतर नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना संख्या (2) “विद्यार्थी-शिक्षक के मध्य निवास स्थान के आधार पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है”, 0.05 सार्थकता स्तर पर स्वीकृत की जाती है।

तालिका 5 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि एकल व संयुक्त पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी-शिक्षक की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के संदर्भ में एकल परिवार वाले विद्यार्थी-शिक्षक की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का मध्यमान व मानक विचलन क्रमशः 72.26 व 7.44 तथा संयुक्त परिवार वाले विद्यार्थी-शिक्षक की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का मध्यमान का मानक विचलन क्रमशः 71.79 व 9.66 है। उपरोक्त दोनों समूहों के मानवाधिकार के प्रति जागरूकता की तुलना करने हेतु t – परीक्षण की गणना की गई। परीक्षणोपरान्त t – परीक्षण 0.315 पाया गया। जो तालिका में 128 स्वतंत्रता अंश पर 0.05 सार्थकता स्तर पर निर्धारित t – परीक्षण 1.98 से कम है। अतः विद्यार्थी-शिक्षक के मध्य परिवार के स्वरूप के आधार पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में 0.05 सार्थकता स्तर पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अतः शून्य परिकल्पना संख्या (3) “विद्यार्थी-शिक्षक के मध्य परिवार के स्वरूप के आधार पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है”, 0.05 सार्थकता स्तर पर स्वीकृत की जाती है।

तालिका 5 – विद्यार्थी-शिक्षक के मध्य परिवार के स्वरूप के आधार पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक विवरण

| क्र. सं. | एकल परिवार वाले विद्यार्थी-शिक्षक | संख्या | मध्यमान | मानक विचलन | t – मान | df मान | सार्थकता स्तर |
|----------|---------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|--------|-----------------|
| 1. | एकल परिवार वाले विद्यार्थी-शिक्षक | 57 | 72.26 | 7.44 | 0.315 | 128 | 0.05 पर स्वीकृत |
| 2. | संयुक्त परिवार वाले विद्यार्थी-शिक्षक | 73 | 71.79 | 9.66 | | | |

पुरुष तथा महिला विद्यार्थी-शिक्षकों, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले विद्यार्थी-शिक्षक तथा एकल व संयुक्त परिवार में रहने वाले विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। पुरुष व महिला विद्यार्थी-शिक्षक दोनों ही अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं। परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना बच्चों की शिक्षा व परिवार के स्वास्थ्य का ध्याद रखना आदि कार्य दोनों मिलकर करते हैं, जिस कारण वे अपने अधिकारों के प्रति

सजग रहते हैं। अपनी जिम्मेदारियों के चलते वे अपने कर्तव्यों व अधिकारों, दोनों का निर्वहन अच्छी तरह कर पाते हैं।

शहरी क्षेत्रों में सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा समय-समय पर नुक्कड़ नाटकों व विभिन्न शिविरों द्वारा मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के विषय में विद्यालयों, कॉलेजों आदि में जानकारी दी जाती है। शहर में निवास करने वाले शिक्षकों को आधुनिक समाज मिलने के कारण उनकी उस विषय में सक्रियता देखी जा सकती है। खुला समाज मिलने के कारण वे प्रत्येक कार्य में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन समय-समय पर किया जाता है जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुए हैं।

एकल परिवार में रहने वाले पुरुष तथा महिला विद्यार्थी-शिक्षक को बचपन से ही अपने अधिकारों की माँग कर, अपने कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वहीं दूसरी ओर संयुक्त पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी-शिक्षक में अपनी भूमिका का निर्वहन भली-भाँति कर पाते हैं। उन्हें परिवार के बड़े सदस्यों द्वारा सही दिशा-निर्देशन प्राप्त होता है तथा वे अपने अधिकारों का इस प्रकार प्रयोग करते हैं जिससे परिवार के अन्य सदस्यों के अधिकारों का हनन न हो सके।

सुझाव

शोध अध्ययन के परिणामस्वरूप विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य उनके जेंडर, निवास स्थान व परिवार के स्वरूप के आधार पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का स्तर औसत रूप से सामान्य पाया गया। अतः मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के विषय में और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों का जोड़ा जाना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु इस संदर्भ में समकालीन परिस्थितियों में उन मुद्दों के प्रति यथोचित संवेदना उत्पन्न की जा सके, इसके लिए समय-समय पर कार्यशालाओं, वाद-विवाद, भाषण प्रतियोगिताओं व सेमिनारों का आयोजन प्रशिक्षण स्थल पर किया जाना भी आवश्यक है। प्रशिक्षण काल के दौरान विद्यार्थी-शिक्षकों द्वारा निर्मित की जाने वाली पाठ-योजनाओं में विशेषकर पर्यावरण अध्ययन, हिंदी व सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों को स्थान दिया जाना आवश्यक है। इन मुद्दों को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल किया जाना तथा शिक्षण प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनाया जाना प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।

भारतीय संविधान में वर्णित मानवाधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों में नागरिकों के कर्तव्य व दायित्व का वर्णन कर उनकी सूचना प्राप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य न होकर उनसे जुड़े हुए मूल्यों का विकास भी विद्यार्थी-शिक्षक में हो, इसके लिए शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्चा में व्यापक गतिविधियों यथा मानवाधिकारों से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी, मानवाधिकारों के प्रत्यय व सिद्धांतों की जानकारी व समझ तथा मानवाधिकारों के हनन से संबंधित परिस्थितियों की समझ पर आधारित गतिविधियों आदि का समावेशन किया जा सकता है। मानवाधिकारों से संबंधित प्रकरणों पर आधारित क्रियात्मक शोधों को पाठ्यक्रम में समावेशित किया जाना चाहिए। विद्यार्थी-शिक्षकों को मानवाधिकारों से संबंधित आयोजित होने वाले कार्यक्रमों यथा – सेमिनारों, कार्यशालाओं, भाषण व वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में अधिक-से-अधिक भाग लेने की आवश्यकता है। विद्यार्थी-शिक्षकों को अपने प्रशिक्षण काल के दौरान निर्मित की जाने वाली

पाठ्य योजनाओं में, विशेषकर पर्यावरण अध्ययन, हिंदी तथा सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में, मानवाधिकारों के प्रति मुद्दों को भी शिक्षण-प्रक्रिया में शामिल करने की आवश्यकता है।

शैक्षिक निहितार्थ

इस शोध पत्र में बी.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया है। शोध अध्ययन के निष्कर्षों से यह संतोषजनक परिणाम सामने आया कि मानवाधिकार जागरूकता के स्तर में पुरुष व महिला विद्यार्थी-शिक्षकों में अंतर नहीं है अर्थात् उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान कोई विभेद पैदा नहीं करता है। यह कहा जा सकता है कि वे समान स्तर का संप्रेषण विद्यालयों में भी कर सकेंगे तथा भविष्य के विद्यार्थियों में पर्याप्त मानवाधिकार जागरूकता पैदा कर पाएँगे एवं स्वयं भी विद्यालयों का स्वतंत्र एवं मानवाधिकार मूल्यों के पालन करने वाला संस्थान बनाने में भूमिका का उचित निर्वहन कर सकेंगे। यह भी संतोषजनक परिणाम है कि ग्रामीण व शहरी पृष्ठभूमि के विद्यार्थी-शिक्षक तथा संयुक्त एकल परिवार से संबंध रखने वाले विद्यार्थी-शिक्षकों के मानवाधिकार जागरूकता में समानता पाई गई अर्थात् मानवाधिकार मूल्यों के प्रति जागरूकता की दृष्टि को ध्यान में रखकर यदि शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है तो ऐसी दशा में बिना किसी विशेष वर्गीय विभाजन के जानकारीयाँ प्रदान की जा सकती हैं। यह एक सुखद परिणाम है कि जागरूकता के स्तर पर सभी तीनों वर्गों-पुरुष/महिला, ग्रामीण/शहरी तथा संयुक्त/एकल विद्यार्थी-शिक्षकों में समानता पाई गई।

शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्चा का निर्माण करते समय उक्त परिणामों की सहायता ली जा सकती है। जिससे मानवाधिकार जागरूकता के प्रति विद्यार्थी-शिक्षकों के जागरूकता स्तर को अभिसिंचित किया जा सके। विभिन्न जेंडर, क्षेत्रों व पारिवारिक पृष्ठभूमि में रहने वाले पुरुष तथा महिला विद्यार्थी-शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के अध्ययन से उनके इस विषय में समान स्तर का ज्ञान पाया गया है। इससे भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मानवाधिकारों से संबंधित प्रत्ययों को विशेषकर कमजोर समूहों वर्गों (महिलाएँ, बच्चे, मजदूर वर्ग, किसी भी प्रकार की अक्षमता से युक्त समूह आदि) को केंद्र बिंदु मानकर इनका समावेशन व इनसे जुड़े हुए विभिन्न पाठ्येत्तर क्रियाकलापों को भी निर्धारित करने में सहायता प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ ग्रामीण स्तर पर विभिन्न शिविरों, नुक्कड़ नाटकों द्वारा यथोचित जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है। शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक संदर्भों को समझने में सहायता प्रदान कर सके। शिक्षा आयोग (1964-66) के अनुसार प्रत्येक शिक्षक चाहे वह किसी भी विषय का हो अपने विषय के शिक्षण के दौरान उसके विद्यार्थियों में मूलभूत मूल्यों, जैसे - अखण्डता व सामाजिक जिम्मेदारियों का विकास करना चाहिए। विद्यालयी स्तर पर पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो किताबें विद्यालयों द्वारा चलाई जा रही हैं, उनमें यथासंभव मानवाधिकार से संबंधित प्रत्ययों का वर्णन किया गया है।

विद्यालयी स्तर पर चलाई जा रही विभिन्न विषयों की पाठ्यपुस्तकों में, जैसे - नागरिक शास्त्र विषय में नागरिकों के कर्तव्य तथा अधिकार, इतिहास विषय में लोकतंत्र की विचारधारा के विकास, संयुक्त राष्ट्र का निर्माण तथा सामाजिक सुधार, भूगोल विषय में विद्यार्थी तथा उसके अपने देश से संबंधित ज्ञान, पर्यावरण व जीवन की दशाओं की जानकारी, देशों की आपसी आत्मनिर्भरता, अर्थशास्त्र विषय में

सामाजिक न्याय तथा आर्थिक विकास की धारणा, विज्ञान विषय में उसके प्रयोग तथा प्रयोग न करने के मत के प्रति संवेदनशीलता साफ व स्वच्छ पर्यावरण के प्रति समझ तथा चेतना, सांस्कृतिक कारकों तथा गुणों के वितरण का अध्ययन, गणित विषय में मानवाधिकारों के हनन से संबंधित आँकड़ें तथा अखबारों में छपे आँकड़ों की विश्लेषणात्मक विवेचना, हिंदी विषय में विद्यार्थियों के मध्य आपसी बातचीत तथा तत्कालीन सामाजिक मुद्दों पर वाद-विवाद और अनेक ऐसे प्रश्न जो मानवाधिकारों के प्रति संवेदना व जागरूकता उत्पन्न करते हों आदि को समावेशित किया गया है।

अतः आवश्यक है कि भावी शिक्षकों को उनके प्रशिक्षण काल में ही मानवाधिकारों की जानकारी प्राप्त हो जाए, जिससे वे भविष्य में पाठ्यपुस्तकों में वर्णित मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों को विद्यार्थियों तक पहुँचाकर, उन्हें इस विषय में संवेदनशील बनाकर एक कुशल नागरिक का निर्माण कर सकें ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। यदि एक शिक्षक अपने विषय के माध्यम से विद्यार्थियों में मानवाधिकारों से संबंधित मूल्यों का विकास करता है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से इन मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने के साथ ही विद्यार्थियों के व्यवहार में भी परिवर्तन लाता है।

संदर्भ

1. अग्रवाल, एच.ओ. 2014 इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स (बीसवाँ संस्करण), सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशंस, इलाहाबाद।
2. अशरफ, भाबाना. 2013, ए स्टडी ऑफ ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस अमंग प्रोस्पेक्टिव टीचर्स. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, वॉल्यूम 2, इश्यू 7. 14 सितंबर, 2019 को [https://www.worldwidejournals.com/international-journal-of-scientific-\(IJSR\)/article/a-study-of-human-rights-awareness-among-prospective-teachers/MTQIMA=?is=1](https://www.worldwidejournals.com/international-journal-of-scientific-(IJSR)/article/a-study-of-human-rights-awareness-among-prospective-teachers/MTQIMA=?is=1) से लिया गया है।
3. कटौच, एस, के. 2012. ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस अमंग सेकेंड्री टीचर्स ट्रेनिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश. हिमालयन जर्नल ऑफ कंटेम्परेरी रिसर्च. वॉल्यूम 1, इश्यू 2, हिमाचल प्रदेश।
4. कुमार, वी.पी. पक्किरीसामी एम. और शिवकुमार पी, 2014 ए स्टडी ऑन द अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स अमंग बी.एड. स्टूडेंट टीचर्स, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करेंट अफेयर्स वॉल्यूम 6, इश्यू। पृ. 4690-4693।
5. तिवारी, सी 2002. माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध अध्यापिकाओं की मानवाधिकार के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन, भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका. वॉल्यूम 21 इश्यू। लखनऊ।
6. नसीमा, सी. 2014 ह्यूमन राइट्स एजुकेशन. कनिश्क पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली।
7. पाण्डेयन, टी. सौनदरा. 2015 अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स अमंग द हाईयर सेकेंड्री स्टूडेंट्स इन नागालैण्ड. ए पीएच डी.।
8. थीसिस, शोध गंगा – ए रिजर्वियर ऑफ इण्डियन थीसिस, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, इन्पलीबनेट नागालैण्ड यूनिवर्सिटी।
9. पाण्डे, एस. 2005, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इन स्कूल – द इंडियन एक्सपीरियंस. ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इन एशियन स्कूल्स, वॉल्यूम 8।

10. मतलीवाला, के 2014 ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस अमंग बी.एड. स्टूडेंट्स, 17 अक्टूबर, 2018 https://www.academia.edu/7710766/HUMAN_RIGHTS_AWARENESS_B.ED_STUDENTS से लिया गया है।
11. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 1988 नेशनल करीकुलम. फॉर एलीमेंट्री एंड सेकेंड्री एजुकेशन (पुनःमुद्रित). रा.भौ.अ.प्र.प., नयी दिल्ली।
12. 1978, करीकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन रा.भौ.अ.प्र.प., नयी दिल्ली।
13. 2009, नेशनल करीकुलम फॉर एलीमेंट्री एंड सेकेंड्री एजुकेशन रा.भौ.अ.प्र.प., नयी दिल्ली।
14. 2014, पाठ्यचर्चा की रूपरेखा – दो वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्. रा.भौ. अ.प्र.प., नई दिल्ली।
15. शशिकला, वी. और एम. फ्रांसिस्को. 2016. ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस अमंग फ़िमेंल प्रोस्पेक्टिव टीचर्स, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन रिसर्च, वॉल्यूम 5, इश्यू 3–8।
16. सिंह भोजी और हरजिन्दर सिंह. 2015. ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस अमंग बी.एड. स्टूडेंट्स इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन. वॉल्यूम 4।
17. सूद, विशाल और आरती आनन्द. 2014. कन्ज्यूमेबल बुकलेट ऑफ एच.आर.ए.टी. – एस.वी.ए.ए. हिन्दी वर्जन नेशनल साइकोलोजीकल कॉरपोरेशन, आगरा।



संन्यासी नहीं

मैंने कभी अपने आपको संन्यासी नहीं कहा। संन्यास बड़ी कठिन चीज है। मैं तो स्वयं को एक गृहस्थ मानता हूँ जो अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर, मित्रों की दानशीलता पर जीवन निर्वाह करते हुए, सेवा का विनम्र जीवन जी रहा है..... मैं जो जीवन जी रहा हूँ वह पूर्णतया सुगम और बड़ा सुखकर है, यदि सुगमता और सुख को मनःस्थिति मान लें तो। मुझे जो कुछ चाहिए, वह सब उपलब्ध है और मुझे व्यक्तिगत पूंजी के रूप में कुछ भी संजोकर रखने की कतई जरूरत नहीं है।

मेरी लंगोटी मेरे जीवन का सहज विकास है। यह अपने आप आ गई, न मैंने इसके लिए कोई प्रयास किया, न पहले से सोचा।

मुझे संन्यासी कहना गलत है। मेरा जीवन जिन आदर्शों से संचालित है, वे आम आदमियों द्वारा अपनाए जा सकते हैं। मैंने उन्हें धीरे-धीरे विकसित किया है। हर कदम अच्छी तरह सोच-विचार कर और पूरी सावधानी बरतते हुए उठाया गया है। मेरा इंद्रिय-निग्रह और अहिंसा, दोनों मेरे व्यक्तिगत अनुभव की उपज हैं, जनसेवा के हित में इन्हें अपनाना आवश्यक था। दक्षिण अफ्रीका में गृहस्थ, वकील, समाज-सुधारक या राजनीतिज्ञ के रूप में जो अलग-थलग जीवन मुझे बिताना पड़ा उसमें अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाह के लिए यह आवश्यक था कि मैं अपने जीवन के यौन पक्ष पर कठोर नियंत्रण रखूँ, और मानवीय संबंधों में, वे चाहे अपने देशवासियों के साथ हों अथवा यूरोपियनों के साथ, अहिंसा और सत्य का दृढ़ता से पालन करूँ।

अनवरत काम के बीच मेरा जीवन आनंद से परिपूर्ण रहता है। मेरा कल कैसा होगा, इसकी कोई चिंता न करने के कारण मैं स्वयं को पक्षी के समान मुक्त अनुभव करता हूँ..... मैं भौतिक शरीर की जरूरतों के खिलाफ निरंतर ईमानदारी के साथ संघर्षरत हूँ, यही विचार मुझे जीवित रखता है।

बिना आस्था के काम करना ऐसा ही है जैसा कि बिना पेंदे का गर्त का पेंदा ढूँढना।

विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं।

—स्वामी विवेकानन्द

कार्यबल में महिलाएं

—विजय प्रकाश श्रीवास्तव

विगत दो दशकों में भारत में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। प्रजनन दर में गिरावट आई है। विश्व भर में इन कारणों से पारिश्रमिक युक्त कार्यों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हो रही है, पर भारत में ऐसा नहीं हो रहा। कार्यबल में जितनी महिलाएं जुड़ रही हैं, उससे कहीं अधिक कार्यबल से बाहर आ रही हैं।

इस साल के शुरु में खबर आई कि सार्वजनिक क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम के इतिहास में पहली बार एक महिला ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्य भार संभाला है। इसके पहले देश के कुछ बैंकों में सर्वोच्च पद पर भी महिलाएं रही हैं। छिटपुट ऐसे और उदाहरण भी हैं। इन सबसे लग सकता है कि भारत के कार्यबल में महिलाओं को वह स्थान हासिल है जिसकी कि वे हकदार हैं, पर यहां जो उदाहरण दिए गए हैं, वे नियम कम अपवाद ज्यादा हैं। जैसे तमाम और मामलों में भारत कई विकासशील देशों से पीछे है, वैसे ही कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के मामलों में भी देश की स्थिति उत्साहजनक नहीं है।

देश जिन बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, उनमें बेरोजगारी निश्चित रूप से एक है। देश में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, पर इन बेरोजगार लोगों में महिलाओं का अनुपात ज्यादा है। और तो और, सभी रोजगारशुदा लोगों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने की बजाय घटती जा रही है। चाहे सामाजिक समानता के नजरिए से देखें या मानवाधिकारों के नजरिए से, देश के कार्यबल में महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व न होना एक गंभीर चिंता का विषय है। देश को आजादी मिलने के साथ जिस भारत की कल्पना की गई थी, करीब पचहत्तर वर्ष बाद की स्थिति भी इससे मेल नहीं खाती। लैंगिक समानता के मामले में भी हम अभी पीछे हैं। इस असमानता के कारणों की तलाश में हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। समाज का पुरुष प्रधान स्वरूप आज भी बना हुआ है और कहीं न कहीं यह दृष्टिकोण भी मौजूद है कि महिलाओं को उनका अधिकार देकर उन पर अहसान किया जा रहा है।

हालांकि कुछ स्थितियां जरूर बदली हैं। काफी घरों में अब पढ़ाई के मामले में लड़के-लड़की में भेद नहीं किया जाता। जैसे लड़कों को अपनी पसंद का करियर चुनने की छूट है, वैसे ही लड़कियों को भी। पढ़ाई और नौकरी के लिए अब लड़कियां भी घर से दूर जा रही हैं। लोग यह सोच भी छोड़ रहे हैं कि लड़कियां हर क्षेत्र में काम नहीं कर सकती। दृष्टिकोण में इसी बदलाव ने आज लाखों युवतियों को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने पांव जमाने का मौका दिया है। अन्यथा कभी यह भी मान लिया गया था कि तकनीक व प्रौद्योगिकी का क्षेत्र महिलाओं के लिए नहीं है। देश में ऐसे अनेक परिवार हैं जिन्होंने बेटियों के पंखों को कतरा नहीं, उन्हें आगे बढ़ने से रोका नहीं और इन्हीं घरों की लड़कियां आज सिविल सेवा और अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं में हैं।

मनोवैज्ञानिक और व्यवहार विज्ञानी यह बात बार-बार दोहराते रहे हैं कि प्रतिभा पुरुष और महिला में भेद नहीं करती। किसी भी प्रयोग में यह नहीं सिद्ध हुआ है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम बुद्धिमान होती हैं, बल्कि कई ऐसी भूमिकाएं बताई गई हैं जिनमें महिलाओं का प्रदर्शन बेहतर पाया गया है। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जिनमें महिलाओं की क्षमता पर विश्वास कर उन्हें महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए और उन्होंने इसे बखूबी पूरा करके दिखाया। बिना किसी आधार के महिलाओं को कमजोर अथवा अक्षम मान लेना कहीं न कहीं अपरिपक्व सोच को ही इंगित करता है। यह सोच बदल रही है, पर उस गति से नहीं जितनी कि होनी चाहिए। महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार तभी हो सकेगा जब यह सोच भी पूरी तरह से सुधर जाए।

यदि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुरूप नहीं है तो मुख्यतः यह सामाजिक कारणों से है। तमाम शोधों और अध्ययनों में बताया गया कि किसी भी देश की समृद्धि तथा उसकी अर्थव्यवस्था के फलने-फूलने के लिए उसमें महिलाओं की पूरी भागीदारी होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का भी कहना है कि सतत विकास तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए लैंगिक समानता जरूरी है। सभी प्रगतिशील संगठनों में मानव संसाधन के लिए विविधीकरण तथा समावेशन संबंधी नीतियां लागू की हैं। इसका मकसद जनशक्ति में सभी वर्गों के समुचित प्रतिनिधित्व और कमजोर लोगों को भी मौका देने से है। इसके अच्छे परिणाम निकले हैं और कारपोरेट जगत में महिलाओं के लिए अवसर बढ़ रहे हैं, पर देश में उपलब्ध कार्यबल से सीमित संख्या में ही लोगों को बड़ी कंपनियों तथा फर्मों में रोजगार मिल सकता है, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में रोजगार नहीं है।

विगत दो दशकों में भारत में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। प्रजनन दर में गिरावट आई है। विश्व भर में इन कारणों से पारिश्रमिक युक्त कार्यों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि होना देखा गया है, पर भारत में ऐसा नहीं हो रहा। कार्यबल में जितनी महिलाओं जुड़ रही हैं, उससे कहीं अधिक कार्यबल से बाहर आ रही हैं। वैसे देखा जाए तो बैंकों में ठीक-ठाक संख्या में महिलाएं कार्य करती दिख जाएंगी, महानगरों तथा बड़े शहरों के रेलवे काउंटर्स पर भी उनकी थोड़ी बहुत मौजूदगी है, कुछ हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, पर महिलाएं बस कंडक्टर, टैक्सी और आटो रिक्शा चालक जैसी भूमिकाओं में शायद ही दिखती हैं। बीते समय में भारत में ई-कारोबार का काफी विस्तार हुआ है। घर बैठे सामान, जिसमें तैयार खाना भी शामिल है, मंगाने वालों में पुरुष भी हैं और महिलाएं भी। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखने को मिलता कि सामान घर पर पहुंचाने वाली एक महिला हो। कारखानों में भी चाहे वहां गाड़िया बनती हों अथवा उर्वरक जैसी कोई अन्य सामग्री, महिलाओं की संख्या नगण्य ही है। हां, ऐसी तस्वीरें जरूर दिख जाती हैं जिनमें महिलाएं घड़ी या मोबाइल फोन फैक्टरी में काम कर रही होती हैं। पर कुल मिला कर विनिर्माण क्षेत्र में नियोजित महिलाओं की संख्या काफी कम है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कुछ वर्ष पहले एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर तीन सौ करोड़ रूपए सालाना बिक्री वाली सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र महिला निदेशक का होना अनिवार्य कर दिया था। इसके अलावा बाजार पूंजीकरण के हिसाब से देश की शीर्ष एक हजार सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में एक महिला सदस्य को नियुक्त करने की अनिवार्यता भी की

गई थी, जो स्वतंत्र निदेशक भी हो। लेकिन इन अपेक्षाओं को पूरा करने कंपनियों को काफी मुश्किलें आईं। कई कंपनियां तो इसके लिए मन से तैयार नहीं थी और उन्होंने खानापूरी करने के लिए इस आदेश का पालन किया तो कुछ कंपनियों के प्रवर्तकों ने अपने सगे संबंधियों में से किसी महिला को निदेशक बना कर छुट्टी पा ली। सेबी का यह आदेश कंपनियों के प्रबंधन वर्ग में लैंगिक विविधता लाने के लिए था, पर आदेश के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में कई स्तरों पर साबित हो गया कि कई कंपनियां नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी के प्रति कितनी उदासीन हैं और साथ ही यह भी कि इतनी विशाल आबादी वाले देश में आसानी से इतनी महिलाएं नहीं मिल सकीं जिन्हें निदेशक नियुक्त किया जा सके।

व्यक्ति हो या देश, उसकी सफलता इसमें मानी जाती है कि उसमें निहित संभावनाएं उभर कर आए और इन संभावनाओं का भरपूर उपयोग हो। यदि कार्यबल में महिलाओं के लिए नए द्वार खुलते हैं तो इससे तमाम महिलाओं के निहित संभावनाओं को फलीभूत करने का मार्ग प्रशस्त होगा और हम अपने राष्ट्र की आबादी में मौजूद संभावनाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को नए सिरे से आगे आना होगा।



सर्वोच्च शिक्षा वही है जो सम्पूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। सम्पूर्ण सृष्टि से तात्पर्य संसार की जीव और निर्जीव सभी वस्तुओं से है। इन वस्तुओं के साथ सामंजस्य करने के लिए मनुष्य की सभी स्थित शक्तियों का पूर्ण विकास होना चाहिए। इस स्थिति को पूर्ण मनुष्यत्व कहा जाता है। इस स्थिति में मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास पूर्ण होना चाहिए। मनुष्य को अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान का संग्रह करना चाहिए और उसके उपयोगी अंग को प्रयोग करना चाहिए। "सच्ची शिक्षा संग्रह किये गये लाभप्रद ज्ञान के प्रत्येक अंग के प्रयोग करने में उस अंग के वास्तविक स्वरूप को जानने में और जीवन में जीवन के लिए सच्चे आश्रय का निर्माण करने में निहित है।"

— रवीन्द्रनाथ टैगोर

महिला सशक्तिकरण के लिए कौशलवर्धन की आवश्यकता

— भानुबहन गजुभाई कुमाराखाणीया
— संध्याबहन ठाकर

विश्व की आधी जनसंख्या तकरीबन महिलाओं की है। मानव सभ्यता में स्त्रियों का स्थान प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण रहा है। इस सृष्टि में मानव जाति की रचना का मूल आधार महिलाएं ही हैं। फिर भी वे पूरी तरह से सशक्त नहीं हैं। इसका सबसे बड़ा कारण स्त्रियों के प्रति होने वाली तमाम नकारात्मक घटनाएं हैं। वह तरह-तरह की हिंसा, अत्याचार, एवम शोषण की घटनाओं का शिकार होती रही हैं और आज भी हो रही हैं। सच कहा जाए तो अकसर वे अपने घर पर भी स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। शायद इसीलिए महिलाओं की जनसंख्या तेजी से कम होती जा रही है। समाज में मुख्यतः दो वर्ग हैं एक महिला और दूसरा पुरुष वर्ग। दोनों वर्गों के बीच समानता होनी चाहिए। चाहे वह जनसंख्या के तौर पर हो या फिर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अथवा किसी भी अन्य स्तर पर। इस समानता को प्राप्त किए बिना ना ही समाज का विकास संभव है और ना ही देश का। विश्व में ऐसे अनेक देश हैं जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत भी ऐसा ही देश है। पुरुष प्रधान होने के कारण यहां पुरुषों को स्वाभाविक ही वरीयता प्राप्त हो जाती है। देश में व्याप्त पुरुष प्रधानता का यह तत्व महिलाओं के लिए एक बड़ी समस्या और चुनौती बनकर खड़ा है।

देश में महिलाओं का सशक्तिकरण होना बहुत आवश्यक है। सशक्तिकरण का मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने आपको मजबूत बनाना फिर चाहे वह आर्थिक तौर पर हो या शिक्षा अथवा राजनीतिक तौर पर। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य उन संभावनाओं को तलाशना है जिनके कारण महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में सशक्त हो सकें।

समाज के हर कमजोर घटक के लिए सशक्तिकरण की आवश्यकता है। विश्व में कई देश ऐसे हैं जहां महिलाएं कमजोर हैं या व्यापक शोषण का शिकार बन रही हैं। भारतीय समाज भी इससे वंचित नहीं है। गौर से देखने पर ज्ञात होता है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्थाएं महिलाओं के प्रति दोहरे मापदंड रखती हैं। यहां एक तरफ तो महिलाओं को पूज्यनीय बताया जाता है तो दूसरी ओर हर प्रकार से उनका शोषण किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत में महिला अस्मिता और उसकी सुरक्षा, अधिकारों और सम्मान को लेकर आन्दोलन नहीं हुए परन्तु इन सभी आंदोलनों से जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी शायद ही मिल पायी।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं में आत्म सम्मान, आत्म निर्भरता व आत्मविश्वास जागृत करना है। यही जागृति लाने के लिए महिलाओं को कौशलवर्धन की शिक्षा देनी होगी। महिलाओं का आर्थिक,

सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में सशक्तिकरण किया जाना आवश्यक है। तब जाकर देश का सही विकास संभव हो सकेगा। महिलाओं का समर्थ होना निरंतर विकास की बुनियाद है। समर्थ होकर ही महिलाएं अपने जीवन के सभी पहलुओं पर पूरा नियंत्रण पा सकती हैं। अतः जब तक उनके जीवन और आजीविका के भौतिक आधार को सुदृढ़ नहीं किया जाता तब तक महिलाओं का समर्थ होना संभव नहीं हो सकेगा।

शिक्षा महिला सशक्तिकरण में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। यह मनुष्य के आचार, विचार, व्यवहार सभी में परिवर्तन कर देती है। शिक्षा स्त्रियों के सर्वांगीण विकास, समाज की चतुर्मुखी उन्नति और सभ्यता की बहुमुखी परिवर्तन को सुनिश्चित करती है। शिक्षा महिला सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसीलिए शिक्षा शास्त्रियों, समाज सुधारकों एवं सरकार द्वारा महिला शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जाता रहा है। इसी कड़ी में महिला शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए सन् 1958 में देशमुख समिति का गठन किया गया। इस समिति ने महिला शिक्षा के विस्तार हेतु अनेक उपाय बताए। इसके बाद महिला शिक्षा के संबंध में पुनः विस्तार से सुझाव देते हुए सन् 1962 में हंसा मेहता समिति का गठन किया गया। तदुपरान्त कोठारी आयोग (1964-66) ने स्त्री एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग पाठ्यक्रमों का सुझाव दिया। इसके साथ ही कोठारी आयोग ने प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा हेतु आधारभूत पाठ्यचर्चा भी प्रस्तुत की। इसका प्रभाव यह हुआ कि भिन्न-भिन्न प्रांतों में स्त्री-शिक्षा को भिन्न-भिन्न रूप में संगठित किया गया। इन सब विशेषताओं को पूरा करने के लिए सन् 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इसके तहत सरकार द्वारा यह प्रतिबद्धता व्यक्त की गई कि शिक्षा में कोई भेद नहीं किया जाएगा, नारी को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, इसके अलावा स्त्रियों को विज्ञान, तकनीकी और मैनेजमेन्ट की शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ज्ञात है कि 2 अक्टूबर 1964 को शिक्षा आयोग के उद्घाटन भाषण में श्री एम. सी. छागला (तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री) ने भी महिला शिक्षा को प्रमुखता प्रदान करने के उद्देश्य को इन शब्दों में रेखांकित किया था – “एक शिक्षित नारी का प्रभाव चमत्कारी होता है और उसका प्रभाव समाज पर प्रभावकारी होता है। अतः महिला शिक्षा बहुत ही आवश्यक है।”

बेटी बचाव में महिला सशक्तिकरण एवं कौशल का योगदान

भारत के ज्यादातर राज्यों में महिलाओं की संख्या तेजी से कम हो रही है। साथ ही साथ महिलाओं पर होने वाले तरह-तरह की हिंसा, अत्याचार, एवं शोषण की घटनाओं में भी आशातीत बढ़ोतरी हो रही है। सरकार भी इससे चिन्तित है। महिला एवं पुरुष जनसंख्या के असंतुलन को समाप्त करने हेतु भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 को सारे भारत में “बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ” योजना की शुरुआत की। पर बहुत चिंता के साथ यह लिखना पड़ता है कि बढ़ रही आबादी में महिलाओं की संख्या क्रमशः घट रही है। महिलाओं को यदि अच्छी शिक्षा मिलेगी तो प्रशिक्षा और प्रशिक्षा से कौशल अर्जन का मार्ग प्रशस्त होगा और, कौशल प्रशिक्षण से सम्पन्न महिलाएं स्वतः ही सशक्तिकरण के राह पर बढ़ चलेंगी। इस आशय के साथ सरकार ने महिला सशक्तिकरण हेतु अनेकों प्रयास किए हैं जिनमें से निम्नलिखित प्रयास कई मायनों में उल्लेखनीय और सफल साबित हुए हैं—

1. दिनांक 1 नवंबर 1999 में प्रारंभ 'पढ़ना-बढ़ना आंदोलन' अत्यधिक सफल रहा है। इस योजना के अंतर्गत एक निरक्षर को पुनः साक्षर करने पर 100 रु. गुरु दक्षिणा का प्रावधान था, जो कारगर साबित हुआ।
2. निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए यथासंभव स्थानीय स्तर पर उपलब्ध शिक्षित स्वयंसेवकों को दायित्व सौंपा गया।
3. महिलाओं के नवसाक्षर होने के बाद उनके सशक्तिकरण की दिशा में महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन को बढ़ावा दिया गया। साक्षरता अभियान के माध्यम से अब तक गुजरात में लगभग 2-3 हजार महिला स्वयं सहायता समूह विभिन्न जिलों में गठित किए जा चुके हैं।
4. अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की बालिकाओं, विशेषतः गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं को निःशुल्क अथवा यथासंभव न्यूनतम शुल्क पर शिक्षा सुलभ कराना।
5. व्यावसायिक एवं व्यवसायोन्मुखी परामर्श एवं प्रशिक्षण (जो केवल महिलाओं पर केन्द्रित हो) का आयोजन ताकि वे अपनी योग्यताओं एवं रुचियों के अनुरूप पाठ्यक्रमों का चयन कर सकें।
6. महिलाओं के नवसाक्षर होने के बाद उनके सशक्तिकरण की दिशा में महिला स्वयं सहायता समूह के गठन को बढ़ावा दिया जाना। साक्षरता अभियानों के माध्यम से अब तक राज्य के विभिन्न जिलों में लगभग 2-3 हजार महिला स्वयं सहायता समूह गठित किये जा चुके हैं।
7. महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करने के लिए उनके निजी बचत खाते, बैंकों अथवा डाकघरों में खोलने को प्राथमिकता दी गई।
8. साक्षरता अभियान क्रियान्वयन से जुड़ी जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक की समस्त समितियों में महिलाओं की 30 से 35 प्रतिशत तक भागीदारी सुनिश्चित की गई।
9. आकाशवाणी रायपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर, बिलासपुर से समय-समय पर महिला साक्षरता को सफल बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया।
10. शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में नैतिक मूल्य (मूल्य आधारित) शिक्षा के समावेश हेतु आवश्यक उपाय किये गये।
11. शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में छत्तीसगढ़ राज्य की महिला विभूतियों एवं महिलाओं से संबंधित सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक आख्यानों को सम्मिलित किया गया।
12. बालिकाओं को वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा दिये जाने हेतु प्रोत्साहन दी गई।
13. दिनांक 1 जनवरी 1997 से पूरे प्रदेश में 'शिक्षा गारंटी योजना' शुरू की गई। इस योजना के सफल क्रियान्वयन का जिम्मा पंचायती राज संस्थानों को सौंपा गया। पंचायती राज व्यवस्था द्वारा किये गये प्रयासों से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हो सका।

सशक्त महिलाओं ने सदा से समाज, संस्कृति एवं सभ्यताओं पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भारत में भी ऐसी सशक्त और सफल महिलाओं की लम्बी सूची है। स्व. इंदिरा गांधी को आज भी लोग लौह नारी के रूप में याद करते हैं जिन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण और बंगलादेश के निर्माण में निर्णायक

भूमिका निभाई थी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल "राष्ट्रपति" और देश की प्रथम नागरिक रह चुकी हैं तो श्रीमती सोनिया गाँधी कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल की अध्यक्ष हैं। सशक्त वक्ता के तौर पर भाजपा नेता स्व. सुषमा स्वराज को सदैव याद किया जाता रहेगा। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्व. शीला दीक्षित, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती से होती हुई यह तालिका समाज सेवा, शिक्षा, खेल, कला एवं अन्य क्षेत्रों के सफल महिलाओं से होकर दूर तक जाती है।

इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं का सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है और इनके बिना परिवार या समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। परिवार एवं समाज में इनका योगदान अतुलनीय है। महिलाएं समाज व परिवार की मार्गदर्शक हैं। युवा पीढ़ी की सफलता की आधार हैं, परिवार की पथ प्रदर्शक हैं। वस्तुतः नारी सदैव से ही अविष्कारी मस्तिष्क की धनी रही है। परन्तु देश, काल एवं परिस्थितियों ने उनके उर्वर मस्तिष्क और विचार करने की क्षमता पर विराम लगाया है जिसे अनुकूल वातावरण प्रदान कर पुनः प्रस्फुटित करना होगा तथा समाज के हर घटक को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका कि बारे में अवगत कराना होगा। तभी समाज समानता की तलाश में आगे बढ़ सकेगा। इस हेतु कतिपय दिशाओं में विशेष पहल करनी होगी।

शिक्षा

शिक्षा के प्रभाव को सभी स्वीकार करते हैं पर महिला सशक्तिकरण में शिक्षा अपना योगदान तभी सुनिश्चित कर पायेगी जब सरकार द्वारा पर्याप्त संरचनात्मक सुविधाएं तथा उपयुक्त मानव संसाधन के सहयोग से महिलाओं को उचित और पर्याप्त शिक्षा प्रदान किया जाए तथा उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उच्च शिक्षा एवं रुचिपूर्ण क्षेत्र में कौशल से युक्त महिलाएं एक शिक्षावान समाज के निर्माण में सहज ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगी।

संचार कौशल

संचार माध्यमों का सदुपयोग सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण उपादान है जिसके बिना आधुनिक समय में कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकता। स्त्रियाँ भी इसका अपवाद नहीं हैं। वे संचार माध्यमों से हर स्तर पर अपनी बात रख सकती हैं, अपने उपर हो रहे अत्याचारों का मुखर विरोध कर सकती हैं तथा जन आंदोलन के माध्यम से परिणामों को अपने हित में मोड़ सकती हैं। अतः आवश्यक है कि संचार के विविध माध्यमों के सदुपयोग हेतु उन्हें समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इससे न केवल वे अपना बचाव कर सकेंगी बल्कि रोजगार के नवीन क्षेत्रों यथा रिपोर्टर, एंकर एवम कॉलसेन्टर आदि में प्रवेश करते हुए सफलतापूर्वक स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसरित होंगी।

मिशन मंगलम योजना

1 मई 2010 को समूचे गुजरात में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य महिलाओं को कौशल तालीम दे उन्हें स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना था ताकि कोर्पोरेट वैल्यू चेन के हितधारकों में शामिल कर उन्हें समुचित आर्थिक लाभ पहुंचाया जा सके। मिशन मंगलम के नाम से प्रचलित यह योजना महिलाओं को अपनी आजीविका कमाने और स्वतंत्र होने में मदद कर रहा है। इस प्रक्रिया में महिलाएं सखी मंडल का हिस्सा बनती हैं जो बैंकों से जुड़े होते

हैं और जरूरत के अनुसार फंड की आवश्यकता को पूरा करते हैं। स्वयं सहायता समूह या सखी मंडल को बैंकों से वित्तीय सहायता, कौशल विकास एजेन्सियों से कौशल वृद्धि तथा उद्योग धर्मों से बाजार की जानकारी मिलती है। मदद और मार्गदर्शन के लिए ये सखी मंडल मिशन मंगलम के अधिकारियों से संपर्क करती हैं। इस मिशन के माध्यम से गरीब ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मिशन मंगलम योजना के तहत तरह-तरह के हुनर सीखाए जाते हैं जैसे सिलाई, पापड़ बनाना, पशुपालन, कर्ज देना, इत्यादि।

महिलाएं और कौशल विकास

परिवार की हो या देश की, आर्थिक उन्नति और समग्र विकास में महिलाओं की भूमिका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। जब उन्हें रोजगार के अवसर नहीं प्राप्त होते थे, तो वे घर के कार्य और बच्चों के लालन-पालन आदि तक ही सीमित रह जाती थीं। लेकिन शिक्षा के विस्तार और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत वे घर और बाहर दोनों ही जगह के कार्यों को कुशलतापूर्वक संभालने का सफल प्रयास कर रही हैं। यह सब होने के बाद भी सत्य यही है, कि अधिकांश महिलाएं आज भी अकुशल हैं।

अतः कौशल विकास के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। यह उनकी कार्य में भागीदारी तथा उसकी उत्पादकता और कुशलता में वृद्धि सुनिश्चित करेगा। समय की मांग है कि महिलाओं में निम्नलिखित कुशलताओं को आत्मसात् करने की इच्छाशक्ति जागृत की जाए तथा उन्हें तत्संबंधित योग्यताओं को प्राप्त करने लायक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाए—

(क) संचार कौशल (ख) नेतृत्व कौशल (ग) निर्णयशक्ति कौशल (घ) अनुकूलनशीलता तथा सामंजस्य कौशल (च) समय प्रबंधन कौशल (छ) सामूहिक कार्य कौशल (ज) रचनात्मकता (झ) समस्या निवारण कौशल (ट) व्यक्तित्व विकास कौशल (ठ) लेखांकन कौशल (ड) बेसिक कम्प्यूटर कौशल (ढ) आचार नीति तथा अखंडता कौशल (ण) व्यवहारिकता कौशल एवं (त) नेटवर्किंग कौशल।

सुझाव

इस शोध कार्य के परिणामस्वरूप कई महत्वपूर्ण सुझाव उभर कर आए जिनका सुनिश्चित किया जाना महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य प्रतीत होता है। इन सुझावों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, महिला व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन, लैंगिक संवेदनशीलता, प्रशिक्षण केन्द्रों का विस्तार, वित्तप्रबन्धन, महिला उद्यमिता का विकास, डिजिटल प्लेटफार्मा का विस्तार, रोजगार अवसरों में वृद्धि तथा स्व-रोजगार को प्रोत्साहन।

यह सत्य है कि सशक्त महिलाएं वही हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। पर महिला आर्थिकरूप से तभी समृद्ध होगी जब वह शिक्षित होगी, प्रशिक्षित होगी तथा विविध क्षेत्रों में कौशल प्राप्त करेगी। इस हेतु केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा आज गुजरात सहित समूचे देश में अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है जिनमें राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन 2015, सीखो और कमाओ (अल्पसंख्यक आबादी हेतु स्कीम), दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, युवा कौशल

विकास कार्यक्रम (दिल्ली पुलिस), कौशल विकास संबंधित उद्यमिता मंत्रालय की योजनाएं, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया तथा स्टार्ट अप इंडिया प्रमुख हैं।

ऐसे में यह निश्चितरूप से कहा जा सकता है कि सरकार बड़े स्तर पर कौशल विकास योजनाओं को प्रोत्साहन दे रही है। सरकार का यह प्रयास है कि महिलाएं अधिक से अधिक इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और स्वयं को सशक्त और स्वावलंबी बना देश के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

संदर्भ

1. अंसारी एम.ए.महिला और मानवाधिकार, जयपुर, 2007 पृ 224।
2. सिंह गौरव, महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी प्रयास एवं संवैधानिक व्यवस्थायें, आन्वीक्षिकी (शोधपत्रिका), 2013, पृ. 6।
3. जसटा हरिराम, आधुनिक भारत में शैक्षिक चिन्तन, दिल्ली 1992, पृ. 21।
4. पूर्वोक्त, पृ 65।
5. मेहता, बी.के. और दुबे, राकेश कुमार, शोध संप्रेषण, बिलासपुर, 2004, पृ. 18।
6. सुरजन, ललित, संदर्भ छत्तीसगढ़, रायपुर, 2004, पृ. 114।
7. पूर्वोक्त, पृ. 22।
8. सुरजन ललित, पूर्वोक्त, पृ. 114।
9. मेहता, बी.के. और दुबे, राकेश कुमार, पूर्वोक्त, पृ.114।
10. हरिभूमि, 25 मार्च, 2010, पृ.10।
11. पाण्डे मनोज कुमार, नारी साम्राज्य, विश्वभारती प्रकाशन, 2008 पृ.120।
12. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (2012), "कौशल मामले" न्यूजलेटर अंक।
13. प्रसन्ना कुमार (2014), "भारत में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण", बहुआयामी एशियाई जर्नल अध्ययन, खंड 2 अंक 1 जनवरी, 2014।
14. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(2012) "दूसरी वार्षिक रिपोर्ट" भारत सरकार, 2011।
15. किशोर एस.एवं गुप्ता के (2009) "भारत में लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण" राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2005-06 अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्था, मुंबई।
16. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (2012) "स्किलमैटर्स" न्यूजलेटर नम्बर 12 मार्च, 2012।
17. www-glpc-in
18. www-betibachavo-in
19. डॉ. तूलिका चन्द्रा, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण, असि. प्रो., अर्थशास्त्र विभाग, एम.के.पी. (पी.जी) कोलेज, देहरादून, शोध मंथन ,जून 2018, पेज सं. 123-126।



शिक्षा, शिक्षक और मानकीकरण

— नवनीत शर्मा

नई शिक्षा नीति शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की मांग करती हुई प्रतीत होती है। यह कई बदलावों को सुझाते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवान शिक्षक का होना परमावश्यक मानती है। गुणवत्ता से परिपूर्ण शिक्षक के लिए एक मानक निर्धारित करता हुआ दस्तावेज तैयार किया जाए, ऐसी संस्तुति इसी नीति नियामक दस्तावेज का योगदान है। इसी संस्तुति पर पूरे राष्ट्र के लिए एक खाका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने आनन-फानन में तैयार किया। इसमें दावा किया गया है कि इसका निर्माण सभी विद्यार्थियों को उच्चतम गुणवत्ता की शिक्षा के न्याय संगत अवसर उपलब्ध करवाने के नई शिक्षा नीति के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है।

गुणवत्ता की अवधारणा मानकीकरण की अवधारणा की पूर्ववर्ती रही होगी। यह एक समान उच्च स्तरीय व्यवहार या संसाधनों के बंटवारे को लेकर पनपी होगी। मानव व्यवहार की भिन्नता और विकट संभावनाओं के चलते मानक या मानकीकरण की अवधारणा सामाजिक बर्ताव और कौशल पर सिमट गई होगी। मशीन और मशीनीकरण के विकास ने ही मानक और मानकीकरण की अवधारणा को स्थापित किया है। माना जाता है कि एक जैसा उत्पाद और निरंतर उसी स्तर पर उत्पादन की मशीनी क्षमता ने ही मानकीकरण और उसके अपरिहार्य होने की अवधारणा को पुष्ट किया। प्रेशर कुकर से लेकर मशीन से तैयार स्वेटर का तो मानक हो सकता है, लेकिन कलाकृति रचने से लेकर हाथ से स्वेटर बुनने में यदि हम मानक खोजेंगे और स्थापित करेंगे, तो यह इस उपक्रम के साथ शायद ही न्याय संगत हो।

अध्यापन की प्रक्रिया भी इतने मानवीय संदर्भों से होकर गुजरती है कि उसे एक मशीनीकृत अपराध नहीं माना जा सकता। विद्यार्थी, उसकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषायी पृष्ठभूमि, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, जानने के उद्देश्य और मूल्यांकन के साथ ही अध्यापक के सरोकार, उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, विषय, अध्यापन पूर्व प्रशिक्षण और तैयारी आदि इतने सारे सोपान हैं जिनका एक सार होना न तो संभव है, न ही वांछनीय। अध्यापन और मतांतरण का अंतर भी हमें इसके मानक तय करने से लेकर हतोत्साहित ही करेगा। अध्यापन अज्ञात से ज्ञात अथवा सहज से विशिष्ट की छात्र की ज्ञान निर्मिती यात्रा में सहायता करने की प्रक्रिया है, तो उसके मानक शायद ही किसी सार्वभौमिक चरित्र के हो सकते हैं।

विकासशील देशों में शिक्षा और उसके मानकीकरण की मांग प्रायः इसके सहारे मानकीकृत समाज अथवा विकसित राष्ट्रों की कतार में पहुंचने की ललक है। शिक्षण व्यवसाय का मानकीकरण इसका पहला चरण बनता है, जिसके अनुरूप राष्ट्र के विकास में सबसे बड़े बाधक वे अध्यापक हैं जो नागरिकों के 'मानव संसाधन विकास' में पर्याप्त योगदान नहीं कर रहे हैं। आंकड़ों के हवाले से भारतीय संदर्भ में क्रमशः पूर्व प्राथमिक स्तर पर 71.7 प्रतिशत, प्राथमिक स्तर पर 40.6 प्रतिशत और उच्च प्राथमिक स्तर पर 31.3 प्रतिशत अध्यापक अपनी आवश्यक योग्यताओं को पूरा नहीं करते। इसका सीधा संबंध विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता पर पड़ता है और वे सामान्य ज्ञान, लेखन और गणना से भी वंचित रह जाते हैं। इन्हीं को आधार बना कर शिक्षक और शिक्षण के मानकीकरण की मांग की जाती है। इस आंकड़े के साथ यह भी जोड़ा जाना चाहिए कि इन 'अयोग्य' अध्यापकों की संख्या का बड़ा हिस्सा निजी एवं गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापनरत है।

शिक्षा के निजीकरण के तमाम प्रयासों में ऐसा सरकारी दस्तावेज जो मानक सुनिश्चित करने के लिए हो, शायद ही निजीकरण की आर्थिकी में कारगर हो। भारत में वर्तमान में 15 लाख विद्यालय हैं, जिनमें से 11 लाख सरकारी

हैं। 'अयोग्य' अध्यापकों का बड़ा संख्याबल उन 4 लाख निजी विद्यालयों में पढ़ा रहा है जिन पर किसी भी तरह का सरकारी नियंत्रण अथवा अंकुश एक हस्तक्षेप की तरह उनकी निज स्वायत्तता पर हमला माना जाएगा। सरकारी स्कूलों में भी इस दस्तावेज को किस तरह क्रियान्वित किया जाएगा, यह भी एक भिन्न-यक्ष प्रश्न है। यह दस्तावेज पुरजोर तरीके से नव नियुक्त अध्यापकों की उनके वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा मार्गदर्शन की वकालत करता है। परंतु सरकारी आंकड़ों के हवाले से ही भारत में लगभग एक लाख दस हजार स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक ही अध्यापक है। यह अध्यापक किसको और किसके द्वारा मार्ग निर्देशित होगा, यह विकट प्रश्न है।

लिंगानुपात के आंकड़े से देखा जाए तो प्राथमिक स्तर पर 100 पुरुष अध्यापकों पर 75 महिला अध्यापक एवं माध्यमिक स्तर पर 60 महिला अध्यापक हैं। इन अध्यापिकाओं का मार्ग निर्देशन और तरक्की पुरुष अध्यापकों के जिम्मे हो जाएगी। यह दस्तावेज मान कर चल रहा है कि अध्यापकों में लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं होते, न ही शोषण की नई पटकथा लिखे जाने की कोई संभावना है। यह आंकड़ा तो कुछ राज्यों में बहुत विकट है, उदाहरणतः बिहार में तो प्रत्येक सौ पुरुषों पर मात्र 20 महिला अध्यापक हैं। इसी तरह जातीय समीकरणों में भी 57 प्रतिशत सामान्य वर्ग के अध्यापक मात्र 8 प्रतिशत दलित अध्यापकों का बड़ी सहृदयता से ज्ञान संवर्धन एवं मार्ग निर्देशन करेंगे। यह शायद उस व्यवस्था में भले ही काम करता जिसके कोई सामाजिक-आर्थिक निष्पत्ति न हो, परंतु इस तरह के प्रयास विद्यालयों में एक नए तरह का वर्गानुक्रम एवं वर्णानुक्रम बनाएंगे, यह तय है।

अध्यापक अपने व्यावसायिक जीवन में कैसे बढ़ेगा, इसके निश्चय में यह दस्तावेज सुझाता है कि प्राथमिक से माध्यमिक और माध्यमिक से उच्च माध्यमिक अध्यापक होने की जगह प्रत्येक स्तर पर ही तरक्की के पदानुक्रम होने चाहिए। यह दस्तावेज प्रत्येक स्तर पर प्रगामी, प्रवीण, कुशल और मुख्य अध्यापक के क्रम को सुझाता है। उदाहरणतः यदि कोई प्राथमिक अध्यापक बनता है तो वह हमेशा प्राथमिक अध्यापक ही रहेगा। वेतनमान की चर्चा न भी की जाए, तो उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यापक बनने की शैक्षणिक योग्यता प्राथमिक स्तर के प्रगामी स्तर से तो भिन्न ही होगी। क्या प्राथमिक मुख्य शिक्षक का वेतन कुशल उच्च माध्यमिक अध्यापक की वेतन से अधिक होगा? ऐसे गंभीर प्रश्नों का समाधान इस दस्तावेज में देखने को नहीं मिलता। यह दस्तावेज अध्यापकों की विषय बार भिन्नता को भी सिरे से नजरअंदाज करता है। उदाहरणतः प्रत्येक स्कूल में शारीरिक शिक्षा, संगीत, कला, इतिहास इत्यादि के एक ही अध्यापक होंगे, इस परिस्थिति में वह कौन मुख्य शिक्षक होगा जो नये अध्यापक का हाथ थामेगा? क्या इन विषयों के अध्यापकों का मार्ग निर्देशन गाणित अथवा विज्ञान के अध्यापकों से करवाया जाएगा?

अध्यापक एवं अध्यापन के मानकीकरण से पूर्व स्कूल और ज्ञान के संस्थायीकरण के मानक तय किए जाने चाहिए। केंद्रीय विद्यालय और नगर निगम के विद्यालय अथवा ग्रामीण विद्यालय के संसाधन और ढांचागत अंतर को पाटने वाले मानक तैयार किए जाने चाहिए, पाठ्यक्रम निर्माण और मूल्यांकन के मानक और अध्यापकों की चयन प्रक्रिया, उनके वेतनमान और सेवा शर्तों के मानक तय किए जाने चाहिए। इन सबकी अनुपस्थिति में अध्यापक और अध्यापन के मानक थोड़े ही रहेंगे और नई विसंगतियों को जन्म देंगे। यह सब होने के बाद ही उस ज्ञान मीमांसा के प्रश्न पर पहुंचा जा सकता है जिसके अंतर्गत ये सवाल हैं कि क्या शिक्षा के मानक और मानकीकरण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुलभता से भिन्न हैं अथवा गुणवत्ता और मानक क्या मानवीय अभियोजन पर पूर्णतः लागू हो पाएंगे, क्या यह सभी क्रिकेट खेलने वालों से सचिन तेंदुलकर जैसा ही होने/बनने की अपेक्षा नहीं है? भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में यदि सभी अध्यापक द्रोणाचार्य हो गए तो सावित्रीबाई फूले कौन बनेगा? अंततः यदि गुरु 'गोविंद' हैं तो क्या मनुष्य अब 'गोविंद' के मानक तय करेंगे, अध्यापक और अध्यापन की वृत्ति दोनों एक आंतरिक प्रतिबलन से पनपती है जिसमें आस्था आवश्यक है न कि मानकीकरण। — (साभार जनसत्ता)

हमारे लेखक

सुरेश चन्द्र पचौरी

स्कूल ऑफ एजुकेशन
श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय
देहरादून, उत्तराखण्ड

मनोज कुमार शुक्ला

स्कूल ऑफ एजुकेशन
श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय
देहरादून, उत्तराखण्ड

रोमा भंसाली

सहायक आचार्य
लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण
महाविद्यालय
डबोक, उदयपुर
राजस्थान

रेणु हिंगड

सहायक आचार्य
लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण
महाविद्यालय
डबोक, उदयपुर
राजस्थान

भानुबहन गजुभाई कुमाराखाणीया

शोधछात्रा
आजीवन शिक्षण एवं निरंतर शिक्षण
गुजरात विद्यापीठ
अहमदाबाद, गुजरात

संध्याबहन ठाकर

विभागीय अध्यक्ष
आजीवन शिक्षण एवं निरंतर शिक्षण
गुजरात विद्यापीठ
अहमदाबाद, गुजरात

भारतीय प्रौढ शिक्षा संघ

कार्यकारिणी समिति

अध्यक्ष

डा. एल. राजा

बहिर्गामी अध्यक्ष

श्री कैलाश चौधरी

उपाध्यक्ष

श्रीमती राजश्री बिस्वास

प्रो. सरोज गर्ग

प्रो. राजेश

प्रो. एस. वाई. शाह

महासचिव

श्री सुरेश खण्डेलवाल

कोषाध्यक्ष

डा. पी. ए. रेड्डी

संयुक्त सचिव

श्री मृणाल पन्त

सह-सचिव

डा. डी. उमा देवी

श्री राजेन्द्र जोशी

श्री ए. एच. खान

श्री हरीश कुमार एस.

सदस्य

सुश्री निशात फारूख

डा. आशा आर पाटिल

डा. आशा वर्मा

श्री वाई एम जनानी

श्री वाई. एन. शंकरेगोडा

डा. वी. रेघु

सहयोजित सदस्य

प्रो. अशोक भट्टाचार्य

श्रीमती इन्दिरा राजपुरोहित

डा. डी. के. वर्मा

“शिक्षा वह नहीं है जो
व्यक्ति सीखता है बल्कि
वह क्या बनता है,
वही शिक्षा है।”

— स्वामी विवेकानन्द

स्वत्वधिकारी भारतीय प्रौढ शिक्षा संघ के लिए सुरेश खण्डेलवाल द्वारा
17-बी, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-2 से प्रकाशित, सम्पादित और उनके द्वारा
मैसर्स - ग्राफिक वर्ल्ड, 1686, कूचा दखिनी राय, दरियागंज, नई दिल्ली-2 से मुद्रित।
सम्पादक : सुरेश खण्डेलवाल